# भारत के श्रमिकों की मांगों का राष्ट्रीय अधिकार-पत्र

भारत के राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि
के समक्ष भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत
'कर्तव्यों और आचरणों' का एक व्यवस्थाक्रम

# प्रस्तावना

भारतीय मजदूर संघ ने संसद भवन के सम्मुख विगत १७ नवम्बर, ६९ को अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। उसी अवसर पर उसने महामहिम राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि को १२६ पृष्ठों का **"National Charter of Demands of Indian Labour"** प्रस्तुत किया था।

प्रस्तुत पुस्तक उसी का हिन्दी रूपान्तर है। इसके अनुवादक हैं–लखनऊ विश्व विद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक डा० महेन्द्रप्रताप सिंह। उनका मैं हृदय से आभारी हूं।

—**प्रकाशक**

प्रकाशक–

**महामंत्री**

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

२, नवीन मार्केट

कानपुर

माँगों का राष्ट्रीय
अधिकार-पत्र

# कर्त्तव्यों और आचरणों
# का एक व्यवस्था-क्रम

—भारतीय मजदूर संघ

रुपया ३.००

मुद्रक—टिपटाप प्रिन्टर्स, २४/९१ बिरहाना रोड, कानपुर—१
फोन नं० ६९१११

सेवा में,

**श्री वी० वी० गिरि**
भारत के राष्ट्रपति
नई दिल्ली।

श्रद्धेय राष्ट्रपति जी,

भारतीय मजदूर संघ परम श्रद्धापूर्वक आपके समक्ष देश के सहस्त्रों श्रमरत बन्धुओं की ओर से 'कर्त्तव्यों एवं आचरणों के एक व्यवस्था-क्रम' के रूप में माँगों का राष्ट्रीय अधिकार-पत्र प्रस्तुत करता है।

भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्वर्ण जयन्ती के दिवस २९ अक्टूबर, १९६९ से 'भारतीय मजदूरों की मांगों का पखवारा' मनाने का निर्णय लिया था। इस योजना के अन्तर्गत, हमसे सम्बद्ध सभी ने देशभर में साभायें आयोजित कीं जिनके माध्यम से विश्व-श्रम के हित में की गई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन की सेवाओं के महत्व से और साथ ही समान हित संबन्धी माँगों की तर्कशुद्धता से श्रमिकों को अवगत कराया गया।

उस योजना का आज श्रमिकों के इस विशाल प्रदर्शन के रूप में समारोप हुआ है जोकि आपको राष्ट्रीय अधिकार-पत्र समर्पित करने को प्रस्तुत है।

इस अवसर पर इस प्रदर्शन को आयोजित करने की प्रेरणा हमें इस तथ्य से मिली थी कि आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रथमवार भारतीय मजदूरों का वास्तविक प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित है।

साथ ही, यह कालावधि समस्त श्रमक्षेत्र के लिए एक 'संक्रमणकाल' है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उसके सुझाओं और पर्यवेक्षणों के प्रकाश में राष्ट्रीय श्रमनीति का पुनर्विचार एवं पुनर्निर्धारण किया जाना है। इस अवसर पर श्रमिकों के दृष्टिकोण को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना समुचित होगा।

जो अधिकारपत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके अपने विशिष्ट लक्षण हैं।

जबकि श्रमिकों की सभी सामान्य मागों को समाहित किया गया है उन्हें एक 'कर्त्तव्यो एवं आचरणों के व्यवस्था-क्रम' के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। सच्चाई यह है कि जो हमारी जनसंख्या के एक वर्ग की 'मांग' है वही किसी अन्य परिसंवादी वर्ग या समाज के अंग के लिए 'कर्तव्य' या 'आचरण' है। द्वितीयत: इसका निहित अर्थ यह भी है कि जहां सेवायोजक या प्रशासक के रूप में निजी सेवायोजक और सरकार को इस सम्बन्ध में अर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व का मुख्य भार उठाना है, वहीं समाज के सभी विभिन्न वर्गों, अंगों अथवा संस्थाओं जैसे, स्वायत्तशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्रेस, सामाजिक संस्थाओं इत्यादि के भी श्रमिकों के प्रति कुछ निश्चित कर्तव्य हैं। आप कृपापूर्वक इस बात का समर्थन करेंगे कि यही एक अधिक विशद और इस कारण एक अधिक वास्तविक दृष्टिकोण है।

हम निश्चय पूर्वक यह विश्वास करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन के स्वर्णजयन्तीवर्ष में एक केन्द्रीय श्रमसंगठन द्वारा इस प्रकार के 'व्यवस्था-क्रम' का प्रतिपादन ही वह सर्वोत्तम भेंट है, जो कि भारतीय श्रमिक उस अत्यंत प्रतिष्ठित विश्व-संगठन को प्रदान कर सकते हैं।

आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व में भारतीय मजदूरों को आशा की एक नई किरण प्राप्त हुई है। वे आशा और विश्वास करते हैं कि आप अर्थ

सामाजिक न्याय के एक नये युग का सूत्रपात करेंगे। हम आपको यह 'व्यवस्था-क्रम' इस विश्वास के साथ समर्पित कर रहे हैं कि हमारे देश-वासियों के हित में इस सार्वभौमिक कानून का प्रतिपालन आपके सुयोग्य हाथों में पूर्णतया सुरक्षित होगा।

सर्वोत्तम विनय के साथ,

आपका श्रद्धालु
**बी० एस० काम्बले**
अध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ

नई दिल्ली
१७ नवम्बर, १९६९.

## निर्वाचित संस्थाओं का अनुशासन

लोकसभा और राज्यीय विधान सभाओं की प्रकृति एवं रचना में परिवर्तन होना चाहिये । क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अंकात्मक रूप में घटाना चाहिये । प्रत्येक सदस्य को एक बड़े चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना होगा । व्यवसाय के अनुसार प्रतिनिधित्व के तत्व का समावेश किया जाना चाहिये । औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक बड़े उद्योग, छोटे उद्योगों अथवा उनके ट्रेडवर्गों को लोकसभा और राज्यीय विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । संगठितश्रम को स्वायत्तशासी सरकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालय के सीनेटों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय स्तरों पर औद्योगिक निर्वाचन मंडलों का सीमांकन किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक उद्योग के श्रमिकों द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या उस उद्योग की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुलोम अनुपात में होनी चाहिये ।

## अल्प मंत्रीपद : लघु लोक सेवा

लोक प्रशासन के राष्ट्रीय व्यवसाय का निर्माण जिसके मौलिक एवं आचारिक दोनो ही प्रकार के व्यवसायिक मानदण्डों की स्पष्ट परिभाषा हो और जिसका अपना व्यवसायिक अनुशासन, प्रशिक्षण और प्रगतिशील कार्यक्रम हो।

इस व्यवसाय को वैधानिक मान्यता दी जाये।

विभागीय ढांचे में केवल उन्हीं सरकारी कार्यों को रखा जाये जिनके लिये संसद में सीधा मंत्री का उत्तरदायित्व अनिवार्य हो; नैत्यिक भुगतानों, प्राविधिक अथवा विशिष्ट सेवाओं, व्यापारिक और आर्थिक सेवाओं, न्यायिक या निर्णयात्मक प्रशासन, क्षेत्रीय और स्थानिक सेवाओं जैसे सभी कार्यों को बदलकर आयोगों, ट्रिब्युनलों या लोकप्रशासकों द्वारा व्यवस्थित बोर्डों के द्वारा गैर-सरकारी लोक संस्थाओं के आधीन कर देना चाहिये जिनके ऊपर निरीक्षण का अधिकार सर्वोच्चस्तर पर संसद के द्वारा विशेष रूप से बनाये गये 'जन संस्थाओं के मंत्रालय' को होना चाहिये। इस प्रकार से अल्प विभागों और लघु लोक सेवा के आदर्श को प्राप्त करने के लिए मंत्रिमण्डल और नौकरशाही को कुछ विभागीय कार्य छोड़ देने चाहिये, जैसे,

(१) औद्योगिक सम्बन्ध
(२) स्वास्थ्य, शिक्षा एवं तरुण सेवायें
(३) सूचना प्रसारण एवं पर्यटन
(४) डाक, तार, नागरिक उड्डयन, रेल, जहाजरानी एवं परिवहन और
(५) समाज कल्याण, परिवार नियोजन, सहकारिता और सामुदायिक विकास

## महानियंत्रक

'महा नियंत्रक' की एक संस्था बनाई जानी चाहिये जो श्रमिकों के प्रतिनिधियों से अपने को सम्बद्ध रखें।

## ग्रामीण प्रजाधीन सम्पत्ति का अनुशासन

प्रत्येक ग्राम किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों की एक सहकारी प्रजाधीन सम्पत्ति है। यह किसानों का कर्तव्य होगा कि भूमि सीमांकन कानून के कारण जो भी भूमि का अतिरेक हो उससे अपने को उन्मुक्त कर लें; कृषि श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिले; और ग्रामीण कारीगरों और कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त कृषि उत्पादन में पूर्ण हिस्सा दिया जाये।

कारीगरों का यह कर्तव्य होगा कि गांव के जरूरतमंद किसानों को तत्कालिक और कुशल सेवा समर्पित करें। अपने औजारों और कार्य-रीतियों में सुधार करें, और अधिक बचत और कुशलता के संरक्षण के लिये अपने बाजार-सहकारी-संघों का गठन करें।

कृषि श्रमिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे किसानों को अनवरुद्ध रूप से अपनी सेवायें समर्पित करेंगे और उनके साथ कृषि उत्पादन के गुण एवं परिमाण वृद्धि के सामूहिक कार्यों में सहयोग करेंगे।

प्रत्येक प्रजाधीन ग्रामीण सम्पत्ति का अपने आन्तरिक मामलों में शासन एक 'पंचायत' द्वारा चलाया जायेगा जिसमें इन तीनों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। यह पंचायत का कर्तव्य होगा कि अपने सहभागियों के कार्य की परिस्थितियां और कार्य के घंटे निर्धारित करें। प्रत्येक गाँव के सीमाक्षेत्र में आने वाली सम्पूर्ण श्रम शक्ति, औजार, भूमि, आधीन उद्योग और अन्य उत्पादन के साधनों को कार्य में लगाने का अधिकार पंचायत को होगा।

यह ग्राम पंचायत का कर्तव्य होगा कि समय समय पर विभिन्न कुटुम्बों के आकार में होने वाले परिवर्तनों और अवधि की प्रतिफलित आवश्यकताओं के प्रकाश में ग्रामीण कुटुम्बों को भूमि पुनर्वितरित करें।

## बैंकिंग उद्योग का अनुशासन

रिजर्वबैंक आफ इंडिया का विकास एक स्वायत्तशासी मौद्रिक सत्ता के रूप में किया जाए जिसे मुद्रा और साख का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, इसके लिये उसकी वर्तमान प्रकृति एवं रचना में इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि उसके संचालक मंडल में नौकरशाह या राजनीतिज्ञों के स्थान पर स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहें। इस सत्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह मुद्रा–नियन्त्रण द्वारा मूल्य स्थिरता और साख नियन्त्रण द्वारा पूर्ण–रोजगार की स्थिति उत्पन्न करे।

राष्ट्रीयकृत बैंकिंग का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह ग्राम स्तर तक वित्तीय सलाहकार सेवा का संगठन करे।

वित्तीय सलाहकार सेवा का यह कर्तव्य होगा कि—

(अ) वह छोटे साखहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों और शहरी क्षेत्रों में स्वयं–विनियोजित व्यक्तियों से उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक योजनायें मांगें, ऐसी व्यष्टिवादी योजनाओं की जांच तथा उनके संशोधन प्राविधिक और व्यवस्थात्मक अनुभवों के आधार पर करे, उनके क्रियान्वयन के लिए अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करें, क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निरीक्षण और देखभाल करे और इस प्रकार उनकी साखहीनता को साखमय बनाने के लिये एक पुनरुत्पादक वित्त की क्रमागत योजना अपनावें जिसके दौरान में प्रत्येक स्तर पर उत्पादित आय की राशि खर्च किये गये व्यय से अधिक होगी।

(ब) प्रत्येक गांव का आर्थिक सर्वेक्षण करे, उनमें समुचित निर्भर उद्योगों का सुझाव दें और प्रेरित करें और पूर्ण वर्ष भर प्रत्येक व्यक्ति

की सभी क्षमताओं के पूर्ण विनियोग की सुरक्षा करें।

अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्तव्य होगा कि अपने कर्मचारियों के पदों की परिभाषा करें, बैंक आफ इंडिया के स्तर पर उनके वेतनक्रमों और भत्तों को समान करें, और इस बात की सुरक्षा करें कि व्यवस्था में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी हो जिसमें पूंजी के लगाने के सम्बन्ध में निर्णय लेना भी अपवर्जित न हो।

राष्ट्रीयकृत बैंकिंग का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार की सहायता अव्यवस्थित मुद्रा–बाजार को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने में करें।

## करारोपण

आवश्यक वस्तुओं पर से सभी अप्रत्यक्ष करों की वापसी;

श्रमिकों को सेवा वृत्ति कर के लागू होने से छूट;

ग्रामीण ऋण–मुक्ति कानून,

सभी श्रमिकों को जिनकी वार्षिक आय ६०००) तक हो **आयकर** के लागू होने से मुक्ति।

श्रमिक सहकारी संघों को सभी करों से मुक्ति।

## शिक्षा

शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण परिष्कार, जिसका उद्देश्य देश की कुल विकासमूलक और विनियोजन मूलक आवश्यकताओं को निकट भविष्य में पूर्ण करना हो और प्रत्येक व्यक्ति की निहित योग्यताओं, गुणों और वृत्तियों के पूर्ण विकास को सम्यक सुविधायें प्रदान करना हो।

## राष्ट्रीय श्रमदिवस

"विश्वकर्मा दिवस" को एक अनूठा और अनन्त महत्व रखने वाला राष्ट्रीय श्रमदिवस स्वीकार करना और उसका प्रचार करना। प्रथम कुशल दस्तकार, नये आकारों के नियन्ता और अनेक यंत्रों के सज्जाकार 'विश्वकर्मा' से भारत में स्व-विनियोजित कारीगरों की एक परम्परा प्रारम्भ हुई जिन्होंने समाज को सम्पन्न बनाने वाली अनेक प्रकार की विशाल परिमाण में वस्तुओं का निर्माण किया। इस परम्परा के महान महत्व को बाद में स्वीकार करके जनता ने इसके निर्माता प्रथम श्रमिक विश्वकर्मा को परमात्मा के समान पूजा।

श्रमिकों के लिए इस कारण विश्वकर्मा दिवस कार्य और कार्य के यंत्रों के महत्व और कार्यों में कुशलता की आत्मा के लिए समर्पण की यादगार है।

समाज के लिए यह दिवस ऐसे अवसर का बोध कराता है जिस पर कार्य में निहित देवत्व का सम्मान किया जाये और याद किया जाये कि कैसे उपासना के रूप में किया गया कार्य भौतिक सम्पन्नता को उत्पन्न करता है और कर्म-योग की शिक्षा देता है।

इस दिवस को समुचित रूप से इसलिये भी मनाना चाहिये कि यह भौतिक विज्ञान की प्रगति और प्राविधिक विकास का आकलन करने का और उसके अधिक प्रसारित उपयोग और शोध का निर्णय लेने का दिवस है।

यह वह दिवस है जबकि राष्ट्र निर्माणकारी क्रियाओं में श्रम के

स्थान की गणना की जाये और उस स्थान के महत्व के परिवर्धन एवं उन्नयन के लिये नये निश्चय बनाये जायें।

यह वह दिवस है जबकि मनुष्य जो कि मानस पुत्र है प्रकृति को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करे और उसके गुप्त नियमों और संयोगों का आवाहन करे जिनमें निस्सीम उत्पादन की क्षमता है।

विश्वकर्मा दिवस भारत का कालरहित 'दैवी भौतिकता का वह राष्ट्रीय दिवस' है, जो कि राष्ट्रीय उपासना में श्रमिक को अग्रदूती महत्व प्रदान करता है और जिसका प्रतिफल निस्सीम सम्पदा है।

# सामान्य अनुशासन

## भर्ती

जब कभी लोक क्षेत्र के उद्योग की स्थापना के लिए भूमि हस्तगत की जाये, जिन व्यक्तियों को वहां से हटाया जाय, उन्हें योग्य क्षतिपूर्ति दी जाये, जिसका ५० %नकद और बचा हुआ ५० %उस संबन्धित उद्योग में अंश पूंजी के रूप में दिया जाये।

ऐसे स्थानापन्न व्यक्तियों और उनके निर्भर व्यक्तिओं को उद्योग में नौकरी देने में वरीयता दी जाये।

अ-प्राविधिक नौकरियों में भर्ती के समय स्थानीय और क्षेत्रीय व्यक्तियों को वरीयता दी जाये (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी)।

प्राविधिक नौकरियों में शुद्ध योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाये (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी)।

स्थानीय बनवासियों के लाभ के लिये उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और पद वृद्धि के लिये समुचित योजनायें बनाई जायें।

# सामान्य अनुशासन

## भृत्ति निर्धारण

सभी औद्योगिक केन्द्रों में 'श्रमिक वर्ग के पारिवारिक बजट की जांच करना और ऐसे सर्वेक्षणों के आधार पर 'आवश्यकता पर आधारित—न्यूनतम वेतन' की राशि ज्ञात करना, जो कि अकुशल श्रमिकों के लिए प्रारम्भिक वेतन के रूप में होगी।

वर्तमान वेतन-क्रमों को प्रायः उन्नयन करना, जिससे वास्तविक न्यूनतम वेतन उपरोक्त ज्ञात की गई आवश्यकता पर आधारित—न्यूनतम वेतन के स्तर पर आ जाये।

(१) नामों का प्रमाणीकरण (२) कार्य–पद विवरण, कार्य–पद विश्लेषण और कार्य-पद मूल्यांकन सभी कार्य-पदों के लिये और (३) कार्य-पद मूल्यांकन के अनुभव के प्रकाश में विभिन्न वेतन-क्रम और भृत्ति-विभेद इत्यादि को पूर्ण करना।

सम्पूर्ण वेतन–पैकेट को जीवन निर्वाह निर्देशांक से श्रृंखलाबद्ध करना, जिससे मूल्य-बृद्धि का पूर्णरूपेण निरसन हो सके और यथार्थ भृत्ति की सुरक्षा हो।

सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रेलवे कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए एक तृतीय वेतन आयोग की नियुक्ति करना। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन मण्डल गठित होना चाहिए।

विभिन्न संगठित उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करना जबकि उन्हें सामूहिक विनिमय के त्रिदलीय मंचों में बदल दिया जाये।

राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी राष्ट्रीय वेतन काउंसिल के यन्त्र का निर्माण करना जिसका उद्देश्यभृत्ति–निर्धारण के लिए आवश्यक तात्कालिक प्रदत्त संख्यक, तथ्य, आंकड़े और तत्सम्बन्धी सूचनाएँ, जिनमें आय के विभिन्न प्रत्यंग जैसे मजदूरी, भत्ता, सुविधायें, बोनस, अलाउंस इत्यादि भी सम्मिलित हैं, संग्रहीत करना है ।

इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कि भृत्ति की वृद्धि केवल उस हद तक मूल्यवृद्धि करती है जहां तक वह उत्पादकता वृद्धि के अतिरेक के रूप में होती है ।

श्रमिक और असंगठित उद्योगों के श्रमिकों के लिए उन्हें योग्य प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों (ग्रामीण शहरी इत्यादि) में बांट कर और संस्थानों को आकार, पूंजी तथा प्राविधिक स्तरों इत्यादि के अनुसार वर्गित करके और विभिन्न पेशों और प्रत्येक उद्योग में कार्य का कुशलता अंशों में विभाजन करके न्यूनतम भृत्ति का कानूनन निर्धारण करना ।

स्थानीय संस्थाओं को उनके कठिन क्रियान्वयन के लिए शक्ति प्रदान करना ।

विभिन्न क्षेत्रों के लिये न्यूनतम भृत्ति निर्देशांक निर्माण करना और कायम रखना और उनका उपयोग न्यूनतम भृत्ति के वास्तविक तत्व की रक्षा करने के लिये करना ।

समय समय पर सभी आर्थिक स्वार्थों की एक गोलमेज सम्मेलन बुलाना, जोकि आयों (भृत्ति समेत), मूल्यों. उत्पादन, विनियोजन, लाभों, पूंजीगत लाभों और करों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करे साथ ही यह औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (**I. R. C.**) के लिये भी मार्गदर्शक रेखायें प्रदान करें ।

विशेषतया द्विपक्षीय या एक पक्षीय रीतियों से किये गए भृत्ति परिशोधनों का और जो क्षेत्र भृति परिशोधन के अभाव से पीड़ित हैं

उनका एक आवधिक आकलन करना और ऐसे आकलन के प्रतिफलों का सभी सामाजिक स्वार्थों के गोलमेज कान्फ्रेंस में विवेचन करना, जिससे स्वतन्त्रता की आशाओं और व्यवस्थित विकास की अनिवार्यताओं के अनुरूप भृत्ति निर्धारण की समुचित रीतियों का विकास किया जा सके।

भृत्ति संगणना करना और भृत्ति ढांचे के क्षेत्रीय समतोल का अध्ययन करना और उनके प्रकाश में समय समय पर भृत्ति-निर्धारण और आय-वितरण की संस्थागत व्यवस्थाओं का पुनर्लेखन करना, जिससे जनसंख्या के सभी वर्गों का न्याययुक्त विकास और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था दोनो ही की जा सकें।

सभी श्रमिकों के लिये 'भृत्ति भुगतान विधेयक' को लागू करना और श्रमिकों को देय-भुगतानों को न देना, देने में देर करना इत्यादि के लिये आयकर के समान ही हतोत्साही सजा देना।

समान कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था करना। देश में न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच १:१० के अनुपात को उन्नतोत्तर प्राप्ति के लिये उद्यम करना।

# सामान्य अनुशासन

## लघु सुविधायें

इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कि जबतक श्रमिकों को 'जीवन निर्वाह भृत्ति' न मिलने लगे उद्योग की अधिकतम सम्भव धनराशि का प्रयोग श्रमिकों को शिक्षण सुविधायें, स्वास्थ्य सेवायें (पौष्टिक भोजन समेत), गृह सुविधा और सुरक्षा इत्यादि के रूप में लघु सुविधायें देने में किया जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ में वर्णित रीति से आवधिक सर्वेक्षण किये जाने चाहिये, जिनसे लघु सुविधाओं के विभिन्न वर्गों और प्रकारों और उनके श्रमशक्ति के गुणों पर प्रभाव और प्रतिफलित आर्थिक विकास के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाये और उनसे प्राप्त अनुभवों को लघु सुविधाओं के द्वारा अनुकूलतम उपयोगिता प्राप्त करने के कार्य में लगाया जा सके।

लघु सुविधाओं की व्यवस्था का काम श्रमिकों को सौंपना जिससे उन्हें सामुदायिक सेवाओं में परिवर्तित किया जा सके और उद्योगानुसार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें औद्योगिक-कुटुम्ब व्यवस्था के निर्माण का एक यन्त्र बनाया जा सके।

सरकार को चाहिये कि अपनी सामाजिक कल्याण योजना के भाग के रूप में उद्योग को समान राशि इन लघु सुविधाओं के लिये प्रदान करे।

अव्यवस्थित उद्योगों के श्रमिकों के लिये लघु सुविधाओं को प्रदान करने का कार्यभार स्थानीय संस्थाओं पर डाला जाना चाहिये, जिन्हें ऐसे अव्यवस्थित क्षेत्र के सेवायोजकों पर समुचित कर लगाने का अधिकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मिलना चाहिए।

# सामान्य अनुशासन

## बोनस

बोनस अधिनियम में इस सिद्धान्त को सन्निहित करना कि बोनस एक देरी से दिया गया या अनुपूरक भृत्ति है–जबतक कि 'निर्वाह भृत्ति' और 'प्रत्यक्ष भृत्ति' में अन्तर रहे और लाभ की हिस्सेदारी में जबकि प्रत्यक्ष भृत्ति 'निर्वाह भृत्ति' के स्तर को प्राप्त कर ले।

सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के सभी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों में और सरकारी सेवाओं में भी बिना श्रमिकों की संख्या का विचार किये बोनस अधिनियम को लागू करना।

श्रमिकों को अपने संस्थानों से सम्बन्धित सभी खाते और तत्सम्बंधी प्रपत्रों का निरीक्षण करने, विभिन्न खर्चों के औचित्य को ललकारने और पूंजी के लगाने के तरीकों के सम्बन्ध में सुझाव देने की सुविधा देना।

प्रति वर्ष बढ़ने वाले बोनस के प्रतिशत पर कोई सीमा निर्धारण न होना।

हानि पर भी चलने वाले संस्थानों के लिये न्यूनतम बोनस की गारन्टी।

# सामान्य अनुशासन

## छुट्टियां, अवकाश एवं कार्य के घंटे

विश्राम के दिवसों की वर्तमान व्यवस्था को ऐसे ढंग से पुनर्विन्यस्त करना कि सभी धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार या अवसरों को समुचित स्तरों (राष्ट्रीय अथवा राज्यीय स्तरों) पर पवित्र दिवस घोषित किया जाये जबकि अपने दैनिक कार्यक्रमों से मुक्त होकर सभी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को पूजा की प्रार्थनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं में लगा सकें।

बीमारी की किसी भी अवधि के लिये पूर्ण अवकाश देना।

प्रत्येक श्रमिक को १५ दिवसों का आकस्मिक अवकाश देना, जिन्हें वह अधिकार स्वरूप ले सके। इस राशि को समुचित रूप से उन श्रमिकों के लिये बढ़ा देना चाहिये जो संस्थान की ओर से दौरे पर जाते हों या रात्रि की पालियों में कार्य करते हों।

प्रत्येक श्रमिक को एक माह का सुविधा अवकाश देना, जिसे ३ माह तक संचित किया जा सकने की व्यवस्था हो।

फैक्टरी श्रमिकों, लिपिक गणों, अफसरों इत्यादि के लिए अवकाश और कार्यकारी घंटों के सम्बन्ध में सभी वर्तमान भेदों को मिटा देना और २४ घंटे ड्यूटी वाले व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब पर समान रूप से नियमों को लागू करना। ऐसे व्यक्तियों के लिये 'सुविधा अवकाश' की सीमा वर्ष में २ माह कर देनी चाहिए।

कौटुम्बिक अवसरों के लिये, जैसे विवाह, पुत्र लाभ, वर्षगांठ, कुटुम्ब में मृत्यु, श्राद्ध-दिवस इत्यादि, वैयक्तिक अवकाश स्वीकृत करना।

४० कार्यकारी घंटों का सप्ताह समझा जाना चाहिये और सभी अतिरिक्त कार्य के लिये तत्सम्बन्धी भृत्ति की दूनी दर से ओवर टाइम दिया जाना चाहिए यद्यपि अधिकतम सीमा पारस्परिक समझौते से यदि आवश्यक हो निर्धारित की जा सकती है।

'अनुपस्थिति' पर यूनियन और व्यवस्थापकों द्वारा साथ साथ एक संतत शोध चलना चाहिए, जहां ऐसी बातें पाई जाती हों और उसके अन्तर्निहित कारणों को (जैसे निवास और कार्य के स्थान की दूरी, परिवहन कठिनाइयां, कार्य में उत्साह की कमी और नीरसता, अस्वास्थकर कार्य परिस्थितियाँ, कार्य-स्थान पर मनोवैज्ञानिक घर्षण, असामान्य कार्यभार, अस्वास्थकर आदतें इत्यादि) को शीघ्र ही दूर करना चाहिये, ताकि उसका निराकरण हो सके।

# सामान्य अनुशासन

## पदवृद्धि–नीति

एक नियम स्थापित करना कि किसी भी उद्योग या संस्थान में किसी भी उच्च पद के रिक्त होने पर जब उसी उद्योग या संस्थान में योग्य व्यक्ति उपलब्ध होंगे तो उस रिक्त स्थान की आपूर्ति सीधी भर्ती से नहीं की जायेगी।

प्रत्येक पद वृद्धि के स्थान के लिए कार्य-पद-विवरण, कार्यपद-विश्लेषण और कार्यपद–विशेषताएं निर्धारित करना और उनका प्रचार करना।

सभी श्रमिकों को उन विभिन्न रीतियों से अभिसूचित करना जिनके आधार पर बिना पक्षपात के योग्यता–परीक्षण के लिये चुनाव कार्यक्रम खोजा जा सकता है, जैसे–सामूहिक साक्षात्कार की आधुनिक रीतियां जिनके द्वारा आवेदनकर्ता स्वयं अपना अनुमान लगाते हैं; प्रश्न-पत्रों, बुद्धि परीक्षायें और अभिरुचि परीक्षाओं का इस प्रकार निर्माण किया जाय कि परीक्षकों की किसी इच्छा का प्रभाव न रहे; कार्य–आकलन रीतियों, योग्यता-मापन रीतियों सेवा-वार्षिकी–आकलन इत्यादि पर आधारित कर्मचारी विकास योजनाएं जो श्रम-अर्थशास्त्र, अनुभव प्रदत्त और वस्तुपरक सूचकांकों का पूर्ण उपयोग करती हैं। इस प्रकार महत् चेतना को और सही, और गलत चुनाव रीतियों के प्रति झुकाव को जाग्रत करना।

उपरोक्त बातों को प्रत्येक उद्योग में प्रत्येक श्रेणी और ग्रेड के लिये सही पदवृद्धि नीति के निर्धारण में आधार बनाना और यूनियन और

व्यवस्थापकों के बीच समझौते के द्वारा एक प्रकाशित एवं बहुस्वीकृत पदवृद्धि-नीति को अपनाना।

पद-वृद्धि की सभी नीतियों में वरिष्ठता को वरीयता देना और अन्य तत्वों को तभी महत्व देना जबकि ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो और वह भी केवल न्यूनतम सम्भावित सीमा तक ही।

व्यवस्थापकों द्वारा एक प्राप्त तथ्य के रूप में पद-वृद्धि लादने की वर्तमान प्रथा की समाप्ति करना, जिसे इस तथ्य पर आधारित माना जाता है कि बाद में पदावनति करने की जिद्द सदैव कठिन ही होती है। इस प्रवृत्ति का ध्यान रखकर पद-वृद्धि नीति के क्रियान्वयन का मार्ग निर्धारित करना, जिसके द्वारा अस्वीकृति के पहले सन्देश पर ट्रेडयूनियन का पूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक हो और आगे भी 'उत्पीड़न प्रकम' का उपयोग किया जा सके और जिसके बाद चुनाव की घोषणाएं और अन्य मनोवैज्ञानिक और प्रयोगात्मक रीतियां अपनाई जाएं।

विभिन्न पद-वृद्धि व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए अनुसरण-कारक रीतियों का प्रयोग करना, ऐसे अध्ययनों के आधार पर पुनर्आकलन करना और विभिन्न इकाइयों और संस्थानों के अनुभवों का समय समय पर संघनन करना जिनसे इस सन्दर्भ में पूर्णता और सत्यता प्राप्त की जा सके।

योग्यता और क्षमता की पुकार को सन्तुष्ट करना और उनका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए मानव-शक्ति-नियोजन और मानव सूची की गुणात्मक रीतियों, जीवन-क्रिया-नियोजन और जीवन क्रिया सेवाओं जैसा कि शोध प्राविधिक कार्य इत्यादि में किया जाता है—का उपयोग करना।

सेवाकालीय प्रशिक्षण, कालेज और तकनीकी अध्ययन, पुनर्नवीनीकरण प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करना, जिससे प्रत्येक कार्यपद पर या अपने उद्योग में प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

व्यवसायिक ढांचे में ठीक प्रकार से 'प्रशासकीय' और 'सलाहकारी' कार्यों का संयोग बनाना जिससे वरिष्ठता और योग्यता के बीच का आगे बढ़ने के लिये विवाद दूर हो सके।

# सामान्य अनुशासन

## सामाजिक सुरक्षा

उन वर्तमान कानूनों और योजनाओं की कमियों को दूर करना, जो कि सामाजिक सुरक्षा को शासित करते हैं और ऐसा करते समय ट्रेड यूनियन के सुझावों को ध्यान रखना, ग्रैच्युटी और पेन्शन के लिये कानून बनाना और इन सुविधाओं को निर्देशांक से श्रृङ्खलाबद्ध करना।

१८ वर्ष से ऊपर आयु के बेरोजगारों के लिये बेरोजगारी बीमा की स्थापना।

इस तथ्य को स्वीकार करना कि प्राविडेन्ट फंड, ग्रैच्युटी और पेन्शन की तीन योजनाएं तीन विभिन्न उद्देश्य रखती हैं और इसलिये तीनों सुविधाए श्रमिक को साथ-साथ ही उपलब्ध होनी चाहिये।

शनैः शनैः पूरी योजना को स्व विनियोजित व्यक्तियों तक फैलाना।

प्राविडेन्ट फंड, ग्रैच्युटी, पेन्शन, उद्योग विशेषजन्य विकलांगता (असमर्थता) क्षतिपूर्ति, सेवा निवृत्ति, आकस्मिक छुट्टी और बन्दी, मातृका सुविधाएं, बीमारी, लम्बी बीमारी, अपंगता, वैधव्य, अन्तिम संस्कार, औषधि सुविधा, कौटुम्बिक सुविधा–जैसे एक साधारण रीति या दुर्दैव से मृत श्रमिक के बच्चों को सुविधा, व्यवसायिक जोखिमो का बीमा इत्यादि की सुविधाओं को मिलाकर एक सर्वग्राही सामाजिक सुरक्षा की योजना का विकास करना।

राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिदलीय संस्था का निर्माण, जो ऐसी योजना का ठीक क्रियान्वयन और निरीक्षण कर सके।

# सामान्य अनुशासन

## कल्याण

इस तथ्य को स्वीकार करना कि गृह कौटुम्बिक जीवन और धार्मिक अथवा आत्मिक जीवन सभी प्रसन्नता का द्योतक है, इसलिये कल्याण–कारी योजनाओं का भी नाड़ी केन्द्र है। सभी आर्थिक विचारों जैसे उद्योग की स्थिति और निर्माण की बनावट और उसका पूंजीगत आधार, प्राविधि का अपनाना इत्यादि को श्रमिक के कल्याण की इस आधारभूत आवश्यकता के आधीन रखना चाहिये।

सभी उद्योग जो इस समय के उपरान्त स्थापित हों, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने श्रमिकों के प्रत्येक कुटुम्ब के लिए एक अच्छा गृह प्रदान करें और सभी उद्योगों को इस सम्बन्ध में समुचित विभाजन द्वारा एक क्रमागत योजना अपनानी चाहिए।

श्रमिकों को कुटुम्बों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सारा कल्याण सम्बन्धी कार्य सौंपना जिनको उद्योग, क्षेत्रीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाए और सरकार द्वारा काफी धनराशि उपलब्ध करानी चाहिये।

कार्य के स्थान पर एक विशद–गृह–सुरक्षा योजना प्रतिदिन के व्यवहार में चलानी चाहिये जिसमें अन्य बातों के साथ भवन की सफाई, हवा एवं प्रकाश का पूर्ण प्रबन्ध, शोर और बदबू का नियन्त्रण, व्यवसा–यिक सुरक्षा, समुचित अन्तर स्थापना, फर्नीचर, शौच व्यवस्था, पेय जल नहाने धोने की व्यवस्था, कैन्टीन सुविधाएं, विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, बालहिण्डोला इत्यादि की व्यवस्था सम्मिलित होनी चाहिये।

एक विशद स्वास्थ्य योजना अपनाना जो श्रमिकों के सभी कौटुम्बिक जनों तक प्रसारित हो, जो लोक स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र, अवरोधक

एवं परिशोधक औषधि, खेलकूद की सुविधाएं और द्वारान्तर क्रियाएं और मनोरञ्जन इत्यादि सभी को वृतानुगत करे।

उपयोगी आदतों जैसे अध्ययन, कलात्मक योग्यता, पर्यटन, वाद-विवाद, लेखन, शरीरयष्टि विकास इत्यादि को सहायता करना और प्रेरणा देना।

लघु संस्थानों में इन कल्याणकारी क्रियाओं को समुचित रीति से वर्गित करके और स्थानीय संस्थाओं से इन उद्देश्यों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता लेकर संगठित करना।

द्वारान्तरित श्रमिकों के लिये कल्याण व्यवस्थाओं में बरसाती, जाड़े के कपड़ों इत्यादि जैसे व्यवस्थाओं को सम्मिलित करना और उनकी गृह सम्बन्धी कठिनाइयों, अनियमितताओं, कौटुम्बिक जीवन से छूटना इत्यादि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कार्य के घंटों, कार्यभार, अवकाश इत्यादि में यथोचित नियमन करना।

लघु सेवाओं जैसे उचित मूल्य-दूकानें, कार्य के स्थान से घर और स्टेशन तक परिवहन, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन केन्द्र, साख समितियां इत्यादि का आयोजन करना।

समुचित शिफ्टभत्ता, मातृका अवकाश और अन्य सुविधाएं, अवकाश-पर्यटन सुविधाएं और अवकाश गृह इत्यादि का अनुदान करना।

औद्योगिक संस्थानों में और अन्य मामलों में श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं के लिये अनुदान एवं निःशुल्क स्कूल-व्यवस्था करना।

# सामान्य अनुशासन

## औद्योगिक गृह–व्यवस्था

ग्रामीण अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए और दलित वर्गों के लिए गृह–व्यवस्था की वर्तमान योजनाओं को चलाना और उनका शीघ्रता से क्रियान्वयन करना।

अन्य दबाव डालने वाली क्रियाओं के होते हुए भी राष्ट्रीय नियोजन के ढांचे में ही एक सर्वग्राही राष्ट्रीय गृह-व्यवस्था योजना का प्रतिपादन करना और उसको यथायोग्य वरीयता देना।

औद्योगिक गृह–व्यवस्था योजनाओं का प्रारम्भ करना, अनिच्छुक सेवायोजकों से उनके देय धन को भूमि लगान की बारी के रूप में वसूल करना।

इस कार्य में लगी हुई सभी विभिन्न समितियों, सहकारिताओं इत्यादि को समुचित वित्तीय सहायता देना।

ग्रामीण अथवा असंगठित श्रमिकों के लिये ईटों, गारे और सीमेंट से युक्त आवश्यकता के अनुसार मकानों का निर्माण करना।

इस प्रकार से प्रदत्त-मकानों के श्रमिकों को उन 'मकानों' को 'गृह' में परिवर्तित करने की कला की शिक्षा देना।

# सामान्य अनुशासन

## औद्योगिक सुरक्षा और व्यवसायिक रोग

यह व्यवस्थापकों और ट्रेडयूनियनों का सामूहिक कर्तव्य होगा कि– औद्योगिक सुरक्षा के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करें और सभी असुरक्षित परिस्थितियों, जैसे मशीनों के खतरनाक हिस्सों की समुचित देखभाल में कमी, ज्वलनशील वस्तुओं का अनुचित जमाव, सुरक्षा वस्त्रों और सामान का अभाव, कम दृष्टव्यता इत्यादि, को दूर करना और मशीनों, यन्त्रों और अन्य सामानों और वस्तुओं के सही स्तेमाल की श्रमिकों को शिक्षा देना और शरीर के अंगों के सही परिचालन सिखलाना और दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण जैसे लापरवाही की वृत्ति, घबराहट, अनावश्यक शीघ्रता इत्यादि को हतोत्साहित करना।

श्रमिकों को व्यवसायिक रोगों से सुरक्षित रखने के लिये निम्न सूचनायें देना–(१) विष के गुण, प्रयोग और प्रवेश के मार्ग (२) प्रभावित व्यवसायिक कार्य (३) नुकसानदायक प्रभाव (४) सुरक्षात्मक रीतियां (५) विष के सन्दर्भ में औपचारिक नियन्त्रण रीतियां (लेड, लेडटेट्राइथाइल, फास्फोरस, पारा, मैंगनीज, आर्सनिक, नाइट्रस धुआं, या नाइट्रोजन के आक्साइड, कार्बन–बाई सल्फाईड, वेन्जीन, ट्राई क्लोरेथीन, कार्वन टेटरा-क्लोराइड रेडियम अन्य रेडियो धर्मी वस्तुयें और एक्सरे), टाम्सिक पीलिया, टाम्सिक रक्त-न्यूनता, खाल की प्राथमिक कैंसर, सिलीकोसिस, एन्थ्रैक्स, क्रोम घाव, इत्यादि, और उनकी सहायता व्यवसायिक रोगों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में करना।

# सामान्य अनुशासन

## वज्रपात की व्यवस्था

प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, आग, सूखा, भूचाल, महामारी इत्यादि या वाह्य तत्वों से जैसे युद्ध, दंगे, दुर्घटनाओं हिंसा लूट इत्यादि से प्रभावित श्रमिकों के शीघ्र शमन या पुनर्वासन के लिये केन्द्रीय और राज्यीय स्तरों पर धनराशियों की स्थायी व्यवस्था करना।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्वेच्छा संगठनों के कार्यों में सतत् समन्वय स्थापित करना।

ड्यूटी पर मृत्यु होने पर सैनिक कर्मचारियों, पुलिस दल के सदस्यों या अन्य दलों के व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिये धनराशियों की स्थायी व्यवस्था करना।

# सामान्य अनुशासन

## स्वचालितीकरण–अभिनवीकरण

केवल सुरक्षा और अन्तरिक्ष विज्ञान को छोड़ कर सामान्य, चुने गये या क्रमागत निर्माण कार्यों या कार्यालयों के कार्यों के लिए स्वचालितीकरण पर पांच वर्ष के लिये प्रतिबन्ध।

योजनाओं के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण और श्रमिक प्रतिनिधियों के द्वारा स्वीकृत होने पर अभिनवीकरण का चुने गये क्षेत्रों में प्रयोग परन्तु संगठन और व्यवस्था के पक्षों में अभिनवीकरण होने के बाद और निम्नलिखित परिस्थितियों में—

(अ) उसी संस्थान में या उसी सेवायोजक के आधीन बिना वैकल्पिक नौकरी के कोई सेवा निवृत्ति नहीं–बिना सेवा की संततता, वरिष्ठता या ग्रेड के अपहरण के।

(ब) किसी भी श्रमिक को आय की कोई हानि नहीं।

(स) कार्यभार का समय समय पर निरीक्षण और आकलन श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेषज्ञों की सहायता से, और

(द) अभिनवीकरण से प्रतिफलित अतिरिक्त लाभों का श्रमिकों, सेवायोजकों और उपभोक्ताओं के बीच न्याययुक्त विभाजन।

# सामान्य अनुशासन

## उत्पादकता

उत्पादकता सम्बन्धी सभी योजनाओं जैसे प्रतिफलों के अनुसार भुगतान, व्यक्तिगत या सामुहिक प्रेरणा–योजना, कर्मचारी संख्या या कार्यभार के मानदण्ड निरूपण संगठनात्मक और तरीकों में परिवर्तन, अभिनवीकरण, यन्त्रीकरण इत्यादि की स्थापना के समय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखना—

(१) सम्बन्धित यूनियनों से समझौते के प्रतिफल के रूप में उक्त सारी योजनाएं लागू की जानी चाहिये।

(२) प्रत्येक ऐसी योजना के द्वारा एक न्यूनतम सुरक्षा भृत्ति निर्धारित की जानी चाहिए, जिसका उत्पादकता से कोई सम्बन्ध न हो।

(३) थकान और गति-तीव्रता से सुरक्षा के निमित्त पूर्ण बचाव होना चाहिए।

(४) उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों–जैसे रीतियां और कार्य–अध्ययन, अच्छे माल की आपूर्ति, यन्त्रों की गुणधर्मिता, यन्त्रों की टूटफूट, भवन व्यवस्था, गुण नियन्त्रण, शारीरिक, काल्पनिक और मानसिक भार, वातावरणीय तत्व जैसे–प्रकाश-व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, तापमान, शोर, सफाई इत्यादि का एक सन्तत आकलन व्यवस्थापकों को करना चाहिये और इन अध्ययनों में श्रमिकों से साझेदारी करनी चाहिये और सहकारी अध्ययन और समझौते पर ही उनमे संशोधन करना चाहिये।

(५) कार्य के सभी मापन सहयोग से करने चाहिये और इस प्रकार के तत्वों का प्रबन्ध करना चाहिये जैसे सुरक्षा, आराम, मनोरंजन, अवरोधकों, देरी इत्यादि की आवश्यकतायें। यही बात भौतिक उत्पादन के मूल्यांकन में भी लागू होनी चाहिए, जहां भौतिक मूल्यांकन प्रेरक भुगतानों का आधार हो।

भूमि उत्पादकता, पूंजी उत्पादकता और श्रम उत्पादकता के निर्देशांक अलग अलग बनाये जाने चाहिये और क्रमश: उनका प्रयोग नियोजन, आर्थिक विकास की दर और आय के वितरण के लिए किया जाना चाहिए।

उत्पादकता के लाभ को अंशधारियों-श्रमिकों और उपभोक्ताओं में बांटना चाहिये और राष्ट्रीय उत्पादकता–काउंसिल द्वारा एक सूत्र पुनर्पूंजीकरण प्रभाव के निमित्त विकसित किया जाना चाहिये, जो गोखले स्कूल आफ इकनामिक्स एवं पालिटिक्स पूना के भूतपूर्व डायरेक्टर श्री बी० एम० दान्डेकर द्वारा संशोधित आधार पर हो और इसके आधार पर श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में अपने उद्योगों का अंशधारी बनाना चाहिये।

किसी भी समय किसी भी प्रेरणा-योजना के द्वारा किसी भी श्रेणी के श्रमिकों के भुगतान में कटौती नहीं होनी चाहिये।

# सामान्य अनुशासन

## वेतन ढांचा

वेतन-क्रम के ढांचे के विज्ञान को अधिक व्यवस्थित करने के लिये उसके विभिन्न तत्वों के कार्यों का अभिनवीकरण किया जाना चाहिये जैसे वेतनक्रमों का विस्तार, वेतनक्रम में न्यूनतम और अधिकतम का अनुपात, वेतनक्रम के विभिन्न स्तरों पर वृद्धिक्रम के ढांचे का फर्म या संस्थान की परिस्थितियों के अनुसार अनुपात-जैसे विभिन्न प्रवेश-ग्रेडों से पदवृद्धि के अवसर, एक निश्चित कैडर में भर्ती के समय आयु, कौटुम्बिक जिम्मेदारियों की बढ़ती हुई आवश्यकतायें, अनुभव की उपयोगिता इत्यादि ।

# सामान्य अनुशासन

## विशिष्ट वेतनों, भत्तों इत्यादि का ढांचा

विशिष्ट वेतनों और विभिन्न प्रकार के भत्तों के लिये समान नामकरणों को प्रभावित करना और उन्हें सारे देश भर में एक ही अर्थ और भाव प्रदान करना ।

विभिन्न कार्यपदों को विशिष्ट वेतनों के लिये समकक्षीय कार्यपद-समूहों में वर्गीकृत करना । प्रत्येक कार्यपद-समूह में एक बेन्चमार्क कार्यपद निर्धारित करना जिसके लिये कोई विशिष्ट वेतन नहीं होगा । उसी कार्यपद समूह में अन्य कार्यपदों के लिये एक ही वेतनक्रम होने पर भी अतिरिक्त वेतन की व्यवस्था करना यदि उनमें और बेन्चमार्क कार्यपद में अन्तर हो जिसके कारण अतिरिक्त कर्तव्य या जिम्मेदारियां, यंत्रों का परिचालन, जोखिम और खतरनाक कार्य-परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की कुशलता या अन्य विभेदकारी अतिरिक्त कार्यपद तत्व हो सकते हैं । इन्हें अन्य सभी उद्देश्यों के लिये वेतन ही समझा जाना चाहिये ।

विभिन्न वातावरणीय तत्वों के लिये, जो कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं जैसे मंहगाई भत्ता जोकि जीवन निर्वाह की लागत की क्षतिपूर्ति के लिये दिया जाय, पहाड़ी क्षेत्रों और ठंढे क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये दिया जाने वाला पर्वतीय और ईधन भत्ता, पानी की न्यूनता की अवधियों के लिये दिया जाने वाला जलन्यूनता भत्ता, बड़े शहरों में ऊंची जीवन लागत के लिये दिया जाने वाला पूरक भत्ता, पाली भत्ता या रात्रिपाली भत्ता इत्यादि विशिष्टि भत्ता देना । ये भत्ते

क्योंकि कर्मचारियों के कार्य स्थान पर निर्भर करते हैं इसलिये इन्हें वेतन तब तक नहीं समझना चाहिये जब तक वे मंहगाई भत्ते के समान सभी कर्मचारियो के लिये कार्य स्थान को ध्यान में रखते हुए सामान्य गुण और लक्षण न ग्रहण कर लें।

सुविधाओं और सहायता जैसे गृह किराया भत्ता, बाल-भत्ता, मातृका भत्ता, शिक्षा भत्ता, मृतक संस्कार भत्ता इत्यादि के रूप में अतिरिक्त भत्ता देना।

कार्य पद पर विशेष मेहनत के लिए या किए गये व्यय की क्षतिपूर्ति के लिये जैसे ओवरटाइम वेतन या भत्ता, कार्यस्थान भत्ता, स्थानापन्नता भत्ता, पर्यटन भत्ता, स्थानक भत्ता, भोजन भत्ता, साइकिल, मोटरसाइकिल या मोटर भत्ता, इत्यादि भत्ता देना। इन सभी भत्तों के लिये सिद्धान्त यह होगा कि अपने व्यवसायिक कर्तव्यों के लिये कर्मचारी को अपनी जेब से कुछ न देना पड़े और सामान्य कार्यों से अधिक समय और शक्ति के प्रयोग के लिये या अतिरिक्त व्यवस्थितता के लिये उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाये।

# सामान्य अनुशासन

## वरिष्ठता

वरिष्ठता, प्रवेश और पदवृद्धि पदों के सामान्य वरिष्ठता के क्षेत्रों का सीमांकन, पदवृद्धि की प्रवाहिकायें और वरिष्ठता की सीढ़ी पर अलग एक कार्यपद समूह के रूप में श्रेणियों का वर्णन इत्यादि के आधार पर वरिष्ठता और पदवृद्धि के उद्देश्यों की परिभाषा करना ।

जब कोई व्यक्ति वरिष्ठता के एक समूह या क्षेत्र से दूसरे में स्थानान्तरित किया जाय या विभागों का सामूहीकरण या विभाजन हो, पुनर्गठन की योजनाओं, अन्य क्षेत्रों, विभागों, सेवाओं, फर्मों या उसी उद्योग के संस्थानों का अतिरेकी कर्मचारी वर्ग के पुनर्वासन और अन्य आपदकाल में वरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थायी नियम बनाना ।

वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिये किसी व्यक्ति की सेवाकालीय आयु का परिगणन करना जिसके लिये सेवा में या विशिष्ट कार्य वर्ग में प्रवेश की तारीख को स्थिरीकरण की तारीख और सेवाकाल में अस्वेच्छी विछिन्नताओं को न गिना जाये ।

वरिष्ठता की एक 'अत्ततम दिवसीय' सूची रखना जो कर्मचारियों को निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध रहें और उससे सम्बन्धित विवादों पर विचार करना एवं उनका समाधान करना ।

## महिला श्रमजीवी

उन कार्यपदों का चुनाव करना (अ-कृषकीय क्षेत्रों में) जिनके लिये महिलाओं की विशेष प्रवृत्ति रहती है।

महिला श्रमजीवियों को व्यवसायिक और प्राविधिक मार्गप्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देना;

अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणियों में उनकी क्रमागत खपत;

महिला श्रमशक्ति का अधिक तर्कपूर्ण वितरण जिससे पुरुष एवं महिलाओं की प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो।

महिला श्रमजीवियों से सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन;

समान कार्य के लिये समान वेतन।

## कार्यरत गृह महिषी

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में श्रीराम केन्द्र द्वारा अभी हाल में किये गयेअनुभव सिद्ध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित बातों के लिये मार्ग और रीतियां ज्ञात करना—(१) गृह महिषी के कौटुम्बिक उत्तरदायित्वों और उसके व्यवसायिक कार्यों के बीच के विवाद को समाप्त करना (२) विशेष रूप से बच्चों और पति के बीच उसके घरेलू और व्यवसायिक कर्तव्यों की विभिन्न आशाओं के बीच समन्वय स्थापित करना (३) उसके कार्य-पद-असन्तोष को न्यूनतम करना और (४) अध्ययन के द्वारा ज्ञात "दबाव के पंच–परिमापों" पर सामान्य रूप से विजय प्राप्त करना।

सेवायोजकों द्वारा इस तथ्य की स्वीकृति की गृह महिषियाँ नौकरी में एक विशेष स्थान रखती हैं। अतः उनके कार्यकारी घंटों, कार्यसूचियां, गृह सुविधाएं और परिवहन इत्यादि के लिये आवश्यक समायोजन करना।

बाल रक्षा सेवाओं जैसे शिशुगृह, शिशुसदनों के किंडरगार्डनों और छात्रवासी स्कूलों या प्रसारित स्कूल दिवसों इत्यादि में गुणात्मक सुधार करना और उनका यथोचित प्रसार करना।

## 'अल्पकालीन' श्रमिक

विद्यार्थियों, घरेलू नौकरानियों, विधवाओं, सेनानिवृत, बेरोजगारों, पेंशनरों इत्यादि जो अल्पकालीन कार्य पदों को ढूंढ़ते हैं, उनके लाभ के लिए सेवायोजन कार्यालयों में अलग "अल्पकालीन सेवा योजन अवसर" का एक विभाग खोलना।

ऐसे अल्पकालीन श्रमिकों की विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक अलग कानून बनाना।

## बालक श्रमिक

अमरीका में अनेक ह्वाइट हाउस कान्फ्रेंसों के माध्यम से विकसित 'बालकों का चार्टर' या 'अधिकारों का बिल' जिसमें उन्नीस अधिकार हैं, उसे अपनाना ।

संयुक्त राष्ट्रों के बच्चों के अधिकारों के घोषणापत्र (नवम्बर २०, १९५९) को स्वीकृत करना, जिसमें १० आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं ।

विशेषतया अव्यवस्थित उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन करवाना ।

किशोरों के स्कूल के घंटों और कार्य के घटों में सह सम्बंध स्थापित करना ।

चिल्ड्रेन एक्टों, सुधारक स्कूल एक्टों, और बोरस्टल स्कूल एक्टों का दृढ़ता से पालन; समुचित संख्या में बच्चों के न्यायालय, निवास गृह, अनाथालय, प्रमाणित स्कूल, स्कूल स्वास्थ्य सेवायें, बाल निर्देशन केन्द्र, बाल सहायता समितियां, सुधारक स्कूल, बाल जेल, उपरान्त सेवा केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, वाचनालय, पूर्व-स्कूल प्रकल्प, शिशु सदन, सुधारक संस्थाएं, सहायता-संस्थाएं इत्यादि स्थापित करना ।

इण्डियन कान्फ्रेंस आफ सोसल वर्क द्वारा प्रणीत 'बालचिन्तक संस्थाओं के लिये न्यूनतम मानदण्डों' का पालन करना ।

## अवकाश प्राप्त व्यक्ति

यह सेवायोजकों और सरकार का कर्तव्य होगा कि :—

(१) चालू पेन्शन की दरों को पुनर्निर्धारित करना और उनका सहसम्बन्ध वर्तमान जीवन निर्वाह निर्देशांकों से स्थापित करना।

(२) पेंशनदरों को निर्देशांक से श्रृङ्खलाबद्ध करना।

(३) पेन्शनरों, भूतपूर्व सैनिक और उनके संगठनों के लिये श्रम कानून की सुरक्षा प्रदान करना।

(४) विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में पेंशन कमेटियां संगठित करना जिससे पेन्शन सम्बन्धी मामलों और विवादों को हल किया जा सके।

(५) (अ) इच्छुक पेन्शनरों को हल्के, अल्पकालिक कार्य अवकाश प्राप्ति के १० वर्षों तक (ब) जिनके एक या अधिक बच्चे १६ वर्ष की आयु से नीचे हों, उन्हें अभिभावक भत्ता और (स) पेन्शनरों और उनके निर्भर व्यक्तियों को उनके जीवनकाल में निःशुल्क औषधियोपचार की सुविधा प्रदान करना।

## घोषित बनवासी

संविधान में संशोधन करना इस उद्देश्य से कि अनुसूचित ट्राइब्स को मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षाएं प्रत्येक घोषित जाति या भूत-पूर्व-अपराधी ट्राइब्स और सभी पर्यटनकारी एवं अर्ध-पर्यटक ट्राइब्स तक प्रसारित हो जाय।

## बनवासी श्रमिक

असामाजिक व्यवस्थाएं जैसे 'गोथी', 'पालेमोदी' इत्यादि को दूर करना ।

अतिरिक्त भूमि का वितरण ।

ऋणमुक्ति रीतियां ।

न्यूनतम भृत्ति विधेयक की सुरक्षा ।

बन सेवाओं में वरीयता जैसे–फारेस्ट गार्ड, वाचमैन इत्यादि ।

सुविधाओं के निमित्त निजी बन क्षेत्रों को सरकारी वन क्षेत्रों के समीप लाना ।

उनके परम्परागत अधिकारों को बन क्षेत्रों में सुरक्षित रखना एवं प्रदान करना ।

बनमूलक उद्योगों की स्थापना करना एवं प्रेरित करना ।

ठेकेदारों एवं संरक्षकों के षड़यन्त्रों से बन सहकारी समितियों को सुरक्षित रखना ।

बन श्रमिक समितियों की व्यवस्था के लिये सहकारी आयोग के निर्माण को प्रेरणा देना ।

सहकारी कानूनों, नियमों और नियन्त्रणों का सरलीकरण ।

सहकारी प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था ।

विकास के नाम पर होने वाले विस्थापित बनवासिओं को तत्काल पुनर्वासन ।

केन्द्रीय और राज्यीय स्तरों पर स्वीकृत सुझावों का कड़ाई से पालन करने के लिये यंत्र स्थापित करना, और

सामान्य समाज से उनके एकीकरण के लिए क्रमशः प्रयत्न करना ।

## निर्माणकारी श्रमिक

'न्यायपूर्ण भृत्ति नियम' का कड़ाई से पालन और समय-समय पर न्यायपूर्ण भृत्तियों का पुनर्आकलन ।

उपस्थिति रजिस्टरों को रखना जिनमें सभी निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के स्थानीय पते हों ।

निर्माण कार्य श्रमिकों के लिये नियामक एवं सुरक्षात्मक कानून बनाना और समुचित कानून पालन यन्त्र की स्थापना ।

ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, श्रम ठेकेदारों इत्यादि के गलत कृत्यों के लिये कठिन और निरोधात्मक सजायें निर्धारित करना ।

भवन निर्माण के ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण ।

कार्य और रोजगार के एक स्थिर परिमाण की सुरक्षा के लिये सरकारी संस्थानों में योजनाओं का समुचित नियोजन करना ।

आकस्मिककरण निवारण योजनाओं की प्रविष्टि, कार्य स्थानों में श्रमिकों के लिए चलनिवासों की व्यवस्था करना ।

## आकस्मिक श्रमिक

प्रत्येक संस्थान में जिसमे आकस्मिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, स्थाई आदेश में संस्थान के सामान्य श्रम शक्ति के अनुसार आकस्मिक श्रमिक की शक्ति स्पष्ट की जानी चाहिये ।

यदि रोजगार अल्पकाल के लिये विच्छिन्न हो जाये और श्रमिक का पुनर्वासिन हो जाये तो इस अल्पकाल को सेवाकाल में टूट नहीं माना जाना चाहिये' ।

"जब सेवाकाल की एक निश्चित अवधि को कोई आकस्मिक श्रमिक पूरा कर लें तो उसे वे ही सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये जो कि स्थायी श्रमिक को मिलती हैं" ।

रेलवे, लोक निर्माण विभाग. सिंचाई विभाग, परिवहन आयोगों, राज्यीय विद्युत आयोगों, निर्माण कार्यों, इंजीनियरिंग संस्थाओं, केन्द्रीय और राज्यीय सरकारी विभागों बन्दरगाहों इत्यादि में श्रमिक की पूर्ण अनिश्चितता का निवारण होना चाहिए। अनिश्चितता निवारण के पूर्ण होने तक आकस्मिक श्रमिकों के लिये एक उत्तम परिस्थितियों का नियमन होना चाहिए।

## ठीके पर काम करने वाले श्रमिक

ठीकेदारी श्रम व्यवस्था की समाप्ति हो तथा उनकी परिस्थितियों के नियमन, उनकी सेवायोजन भृत्तियों, कार्यकारी परिस्थितियों, कार्यकारी घंटों, सेवाकारी परिस्थितियों, कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा योजनाओं और विशिष्ट स्तर की गृह व्यवस्था के लिये प्रमुख सेवायोजक को कानूनन जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये ।

## असुरक्षित श्रमिक

महाराष्ट्र मथाड़ी, हमल और अन्य शारीरिक श्रमिकों के' (सेवा-योजन एवं कल्याण नियमन) विधेयक १९६८ के प्रारूप के अनुसार उन असुरक्षित श्रमिकों के लिये राज्यीय कानून बनाना जैसे—मछुहारे, नमक-यंत्र श्रमिकों, मथाड़ी, हमल, लोखण्डी जथा श्रमिकों, आकस्मिक श्रमिकों जो मुकद्दम (पल्लेदारी) व तौलाई के काम में लोहा और स्पात बाजारों या दूकानों में लगे हों, कपड़ा या कपास मंडियों में लगे हों, बन्दरगाहों में लगे हों, किराना बाजारों या दूकानों में लगे हों, सामान्य बाजारों या फैक्टरियों और अन्य संस्थानों में लगे हों, रेलवेयार्डों और मालरोडों, लोक परिवहन बसों, भंडार गृहों, सागसब्जी मण्डियों, इत्यादि में लोडिंग अनलोडिंग, स्टैकिंग भारवाहन, तौलना, नापना या अन्य इसी प्रकार के प्राथमिक या निर्भर कार्यों में लगे हों।

## विस्थापित

इस बात को स्वीकार करना कि सभी विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वासन हमारा राष्ट्रीय दायित्व है ।

विस्थापितों की एक नवीन जनगणना करना ।

१ जनवरी, १९५१ के बाद बनी अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना ।

१ जनवरी, १९५८ के उपरान्त आने वाले विस्थापित बन्धुओं को जो पश्चिमी बंगाल में निवास कर रहे हैं, विस्थापितजन सुविधायें प्रदान करना ।

कृषक परिवारों को आर्थिक जोत प्रदान करना और अकृषक परिवारों को दीर्घकाल में धीरे धीरे मिलने वाले अधिक परिमाण वाले व्यवस्थापिक ऋृण देना ।

केन्द्रीय एवं राज्यीय सरकारों द्वारा सन् १९६०–६१ में स्वीकृत केवल कुछ कार्यों के लिये जिनका उन्होंने बचीखुची समस्याओं के रूप में अनुमान लगाया था, विस्थापित जन कल्याण के कार्य को संकुचित रखने की पूर्व नीति को पुनर्निर्धारित करना ।

पुनर्आकलन समिति के सुझावों को लागू करना विशेषत: जो उन कुटुम्बों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में जो पूर्व कैम्प क्षेत्रों या उजड़े हुए स्वेच्छाचारी गृहों में रह रहे हैं अथवा नये आव्रजकों को सहायता इत्यादि ।

पुनर्आकलन समिति के सन्दर्भ कार्यों को अधिक विशद् बनाना।

सन् १९६७ में पश्चिमी बंगाल राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित समिति के सुझावों का द्रुतगामी विचार करना।

अनधिकृत निवेशों को नियमित करने हेतु स्थानीय समितियों के द्वारा विभिन्न पुनर्वासन योजनाओं के प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन में विस्थापित व्यक्तियों के सहयोग एवं भाग लेने की सुरक्षा प्रदान करना।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित अनधिकृत निवेशों में भूमि के मूल्य निर्धारण की नीति को संशोधित करना और इसके लिये अधिग्रहण लागत, विकास लागत, लगान क्षतिपूर्ति और ब्याज इत्यादि का विचार करना और अनधिकृत निवेशों में गृह निर्माण युक्त भूमिखंडों के लिये उचित मूल्य लेना।

विस्थापितों को प्रत्येक प्रकार ऋण देना। विस्थापितों को प्रतिव्यक्ति सहायता की वृद्धि करना।

## वेश्यायें

नैतिक एवं सामाजिक आरोग्य परिषद की बम्बई शाखा द्वारा प्रयुक्त समस्याओं के शोध की प्रणाली के अनुरूप गुणात्म शोध करना।

(अ) पेशे में प्रविष्टियों का कारण-सम्बन्धी विभाजन जैसे, कौटुम्बिक पार्श्वभूमिका, भावानात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलू, टूटे परिवार, विवाहित स्थिति, वंशानुक्रमेण, वातावरणीय प्रभाव इत्यादि।

(ब) ग्रामीण स्तर पर निरोधात्मक तरीके, पारिवारिक सेवा व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं निर्देश, विधवाओं और माताओं के लिये आकर्षक पेशे, और पतित महिलाओं को आर्थिक पुनर्वासन।

(स) 'सम्भवनीय क्षेत्रों' की समाप्ति

(द) निम्नलिखित का सक्रिय क्रियान्वयन—

देवदासी अधिनियम, बालविवाह निरोध विधेयक, दहेज अवरोधक विधेयक, महिलाओं एवं बालिकाओं में अनैतिक कार्य उन्मूलन विधेयक, पुलिस विधेयक, जिनके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की अनैतिकता का विरोध एवं वेश्यालयों के स्थानों का अवरोधन या नियन्त्रण किया जाता है और महिला एवं बालसंस्था (अनुज्ञा) विधेयक।

(य) उद्धार की गई महिलाओं के लिये उत्तर–व्यवस्था–गृह।

* उद्योगो एवं अन्य प्रशिक्षणो के अल्पकालीन विषय क्षेत्र।

* वेश्या वृत्ति से उद्धार की गई महिलाओं की यथासम्भव प्रशिक्षण व्यवस्था करने के उपरान्त उन उत्पादक सेवाओं की खोज करना जिनमें उनका लाभप्रद सेवायोजन किया जा सके।

* सेवानियोजन कार्यालयों की सहायता से उनके सेवायोजन के लिये योग्य प्रबन्ध करना (कार्यरत महिलाओं के लिये आवास-व्यवस्था)। सामान्यतः संयुक्तराष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक कौन्सिल द्वारा प्रणीत 'व्यक्तियों में अनैतिकता एवं अन्यों की वेश्यावृत्ति का अवरोधन' १९५९ के शब्द एवं भावों को अनुसरण करना।

## अपराधी–कैदी

अखिल भारतीय स्तर पर जेल सुधार समिति और जेल उद्योग अनुसन्धान समिति को नियुक्त करना।

एक नवीन अखिल भारतीय जेल मेनुअल का निर्माण।

खुली वायु-कैम्प आयोजित करना अथवा सम्पूर्णानन्द शिविर योजना जो कैदी को एक कठोर अपराधी नहीं समझती वरन एक सामान्य मनुष्य मानती है, जो कुमार्ग पर चला गया है और इसलिए उसकी समाज के आत्मसम्मान युक्त अंग के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा की जा सकती है।

उनके नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा की व्यवस्थायें।

उनके लिये व्यवसायिक और अन्य कार्य प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना और उसका जेल में रहते हुए उत्पादन के निमित्त उपयोग करना।

कैद से मुक्त होते समय निर्भरता योग्य कैदियों को शुद्ध चरित्र प्रमाणपत्र प्रदान करना।

उनको योग्य कार्यपदों पर सेवायोजन कार्यालयों की सहायता से लगाना।

## स्वामी—व्यवस्थापक के कर्तव्य

(लघु एवं मध्यमवर्गीय उद्योग)

(क) कच्चे माल की खरीद।

(ख) उत्पादनों की रूपरेखा।

(ग) उत्पादन का नियन्त्रण।

(घ) थोक और फुटकर निष्क्रमण मार्गों को प्राप्त करना।

(ङ) विज्ञापन।

(च) वितरण।

उपभोक्ताओं की इच्छा जाग्रत करने के निमित्त उत्पादन, निष्क्रमण मार्गों एवं वितरण से विक्रय और विज्ञापन के मध्य समन्वय।

(क) विकास के वित्तीकरण के लिए मुद्रा की खोज।

(ख) अधिक बड़े भवन परिसर की प्राप्ति।

(ग) समुचित कर्मचारी वर्ग को कार्यरत करना।

(घ) चुने गये कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपना (अर्थात, फैक्टरी व्यवस्थापक, आफिस मैनेजर, विक्रय मैनेजर, परिवहन मैनेजर इत्यादि)।

लागतों पर सतत नियन्त्रण और बर्बादी को कम करना, अन्य कार्य संस्थानों की क्रियाओं पर सतत ध्यान रखना, वस्तुओं की नये प्रकारों का विकास जो बिना उत्पादन के प्रवाह को अवरुद्ध किये संयन्त्र और भूमि स्थान के सुयोग्य पुनर्गठन के आधार पर उपभोक्ता अभिरुचियों को परिलक्षित करे।

एक अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करने के निमित्त कर्मचारी वर्ग को 'परिचालक मष्तिष्क वर्ग' (कुशल समूह) में परिवर्तित करके उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करना।

## फोरमैन या उसके समकक्ष के कर्तव्य

(क) अपने विभाग के कार्य का प्रथम श्रेणी का ज्ञान।

(ख) यन्त्रों के परिचालन हेतु नये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योग्यता।

(ग) उत्तरदायित्व का परिज्ञान (मानदण्डों के संरक्षण एवं कार्य एवं व्यवहार दोनों के लिये मानदण्डों की स्थापना के लिये)।

(घ) एक प्रसन्नवदन व्यवहार और साथ में बिना बिगाड़े हुए सूचना के प्रेषण की तकनीक।

(ङ) उत्पादन के ढंगों के सुधारने की सतत आवश्यकता का पूर्ण परिज्ञान।

(च) यथा आवश्यक दायित्व को निभाने का गुण।

(छ) एक कुशल उत्पादन दल के निर्माण की योग्यता।

(ज) नेतृत्व की शक्ति अर्थात किसी कार्य को करवा लेने की योग्यता (१) जब वह उसे करवाना चाहे (२) जिस प्रकार से करवाना चाहे और (३) कर्मचारी की स्वयं की स्वीकृति भी कार्य को पूरा करने में हो जाय।

## व्यवस्थापकों के कर्तव्य

(सार्वजनिक निजी क्षेत्र)

यह व्यवस्थापकों का कर्तव्य होगा कि :—

इस व्यवस्थाक्रम में अथवा अन्य संस्थापित औद्योगिक अनुशासन और लोक हितकारी संस्थानों में संकलित उद्योगों के ब्यूरों के द्वारा निर्धारित अनुशासन का पालन करना।

निर्धारित क्षमताओं को प्राप्त करना

(उपादानों और संयत्रों की स्थापना)

मनुष्यों और यंत्रों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग प्राप्त करना, यंत्रों के बेकार समय का ध्यान रखना एवं उसका संकलन करना, यंत्रों के उपयोग में देरी के वर्गीकरण में प्रमापन एवं एकरूपता स्थापित करना।

उत्पादन के निमित्त एक रूपी योजनाओं की प्रविष्टि करना, व्यक्तियों और समूहों के लिए प्रेरक बोनस योजनाओं को चलाना।

फैलाव योजनाओं और प्रारम्भ में स्थापित क्षमता के उत्पादन योजनाओं के संघनन के बीच सन्तुलन स्थापित करना।

योग्य (ठेकेदारों आदि) आपूर्ति कारकों का चुनाव करना।

कच्चे माल, कलपुर्जों की नियमित आपूर्ति की उचित समय में सुरक्षा करना एवं आवश्यक गुणात्मक स्तर, परिवहन और अनवरोधित शक्ति आपूर्ति का ध्यान रखना।

माल के उपभोग और संयंत्रों के अस्वीकृत माल पर नियन्त्रण करना ।

आयात प्रतिस्थापना पुर्जों का स्थानीय निर्माण, उपादनों का प्रभावित गुणतत्व, सही मूल्य और आवश्यक आयात की व्यवस्था करना ।

सुरक्षात्मक रखरखाव, संयंत्रो और मशीनो की रक्षा करना और रखरखाव को अधिक प्रभावी बनाना, संयन्त्रो और मशीनी के आपूर्तिकारकों से रखरखाव के विवरण पुस्तकों को प्राप्त करना (अग्नि इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाना) ।

गुण नियन्त्रण पर मैनुअल तैयार करना ।

कुशल औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभागों का संगठन करना ।

अधिग्रहण योजना की प्रक्रिया को योग्य बनाना ।

स्टाक में रखे माल को आर्थिक स्तर तक नीचे ले जाना ।

मांग सर्वेक्षण एवं बाजार सर्वेक्षण करना ।

उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार करने के लिये विशिष्ट मशीनरी बनाना ।

उद्योग से सम्बन्धित आधुनिकतम तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकासों कि जानकारी रखना ।

पूंजीगत मरम्मत के कार्यों को पूरा करने के लिये रखरखाव के विशेषज्ञों का अपना दल बनाना—

(अ) जिससे विदेशी विशेषज्ञों की संख्या को क्रमशः कम किया जा सके ।

(ब) उत्पादन की समस्याओं के निराकरण की पूर्णता और भारतीय कर्मचारियों द्वारा संयन्त्र रखरखाव ।

(स) प्राविधिकी एवं प्राविधिक दलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।
बिना विदेशी सहायता के समुचित अन्वेषण करना ।
निर्यात की अनुवृद्धि के लिये तरीकों की खोज ।
विभिन्न स्तरों पर 'व्यवस्था पुस्तपालन की प्रविष्टि ।
'अपवाद से व्यवस्था' और 'उद्देश्यों से व्यवस्था' को प्रोत्साहित करना ।

**अध्ययन करना कि—**

(१) आपूर्ति आदेशों, के कार्यक्रम सूचियां, खर्चे (वास्तविक उत्पादन व्यय) और अन्य विवरण का ढांचा किन मामलों में डी० पी० आर० में परिकल्पित विवरण से भिन्न हैं ।

(२) उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारण और उन्हें स्थापित करने के आधार ।

(३) देखभाल एवं रखरखाव पर व्यय और टूटफूट यांत्रिक विद्युतिक इत्यादि की आवृत्ति को रोकने में उसके प्रभाव और यंत्रों के जीवन में सम्भवनीय सहसम्बन्ध स्थापित करना ।

(४) संयन्त्र की स्थापना परिसर (यहां और विदेश में) तुलनीय उद्योगों में ।

परिचालन एवं रखरखाव कर्मचारी वर्गों के लिये प्रशिक्षण योजनायें चलाना जिससे उनमें 'कार्यपद का कौशल' प्राप्त हो जोकि निर्धारित क्षमता परिचालन की प्राप्ति के लिये आवश्यक है और प्रशिक्षण योज-

नायें निरीक्षक कर्मचारियों, गुण नियन्त्रण कर्मचारियों और उत्पादन व्यवस्था कर्मचारियों के लिये भी चलाना।

एक अच्छे कर्मचारी विभाग और समुचित प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था का विकास करना।

कार्यकारी परिस्थितियों, कार्यकारी घन्टों और श्रमिकों /(आवर्तक) कर्मचारियों के बीच अवकाश, जो कि विभिन्न अवधियों में भर्ती किये गये हों ऐसे कार्यों के बीच वर्तमान अंतरों को मिटाना और भविष्य में नये संस्थानों में ऐसे अन्तर न निर्माण हों—इसकी सुरक्षा करना।

गतिशील श्रमिकों के लिये किराया भाड़ा, अस्थाई निवास और नए गृह की प्राप्ति पर हटाने के लिये सहायता और भत्ते देना।

निर्णय करने के लिये व्यवस्था के स्तरों को निर्धारित करना, उनके सम्बन्ध में श्रमिकों को सूचित करना और उन्हें निर्णयकारी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर समान स्थिति में सम्मिलित करना।

श्रमिक के कल्याण हेतु सहयोगी कार्य स्थान के वातावरण की निर्मिति।

यूनियनों को 'अनुज्ञित कार्यपद काल' के निर्धारण के निमित्त आवश्यक एवं सम्बन्धित काल-अध्ययन-प्रदत्तों के संकलित एवं प्रयुक्त विवरणों को प्रदान करना; प्रस्तावित प्रेरक भृत्ति भुगतान योजना के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित सब सूचनायें श्रम अर्थशास्त्र के लागू करने के प्रतिफलों को प्रदान करना, जिनका उद्देश्य प्राथमिक रूप से कार्य पद संतोष प्रदान करना है और उत्पादकता में घटनामूलक वृद्धि करना है; कार्यपद–मूल्यांकन के लिये रीति–अध्ययन के प्रतिफलों और उनको उचित स्थापना के लिये उचित तकनीक की सूचना देना; और चार्टर्ड अकाउन्टैन्टों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और कथोपकथनों को प्रदान करना।

इनमें से किसी भी नियम को लागू करने के पहिले श्रमिक प्रतिनिधियों से समझौता करना ।

सम्पूर्ण समय देकर ट्रेड यूनियन और सहकारी संस्थानों में कार्य करने वाले निर्वाचित श्रमिकों को वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं देते रहना ।

सभी श्रम कानून, फैसले और समझौतों इत्यादि का कड़ाई से पालन करवाना ।

संस्थान के सभी निर्वाचित श्रमिक प्रतिनिधियों और संबंधित अफसरों की एक वर्क्स कमेटी प्रत्येक संस्थान में स्थापित करना और वर्क्स कमेटी को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों जैसे सेवानिवृत्ति, पदमुक्ति, निलम्बन, स्थानान्तरण, वृद्धि रोक, अर्थदण्ड इत्यादि के लिये पूर्ण शक्ति प्रदान करना ।

वर्क्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र को क्रमश: बढ़ाते जाना जिससे पदवृद्धि, स्थानान्तरण, पदमुक्ति, अल्पकालीन छुट्टी, स्थाईकरण, वरिष्ठता और उत्पादकता, कार्य भार तकनीक का चुनाव जैसे विषय भी सम्मिलित हो जावें ।

क्रमानुगत श्रमिकीकरण की योजनाओं को प्रविष्ट करना ।

## सेवायोजक संगठनों के लिए अनुशासन

जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का विषय है--

(१) अपने सदस्यों द्वारा सभी सम्बन्धित श्रम कानूनों, द्विदलीय और त्रिदलीय समझौतों और वेतन आयोग के निर्णयों को बिना अनावश्यक देरी और रुकावटों के पालन करना।

(२) अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों को करने से सदस्यों को रोकना।

(३) सभी स्तरों पर सामूहिक सौदेबाजी के विकास का प्रयत्न करना और ऐच्छिक पंचनिर्णय को प्रोत्साहन देना।

(४) अपने सदस्यों को प्रकाशपुञ्जी कर्मचारी नीति अपनाने के लिये मजबूर करना।

(५) सेवायोजकों की शिक्षा निम्नांकित विषयों पर आयोजित करना-- (अ) उद्योग में श्रम भागीदारी का सम्बोध (ब) मजदूर और व्यवस्थापक के स्वार्थों की एकात्मकता की सुरक्षा और (स) उद्योग और समाज के लक्ष्यों में एकरसता का प्रोत्साहन।

(६) उन्हें प्रशिक्षण, शोध एवं औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में संवाद प्रेषण के द्वारा अधिक उदार बनाना।

(७) श्रम--व्यवस्था की कला में विशेषज्ञ बनाने के लिये निरीक्षकों एवं मध्यव्यवस्थापकों को प्रशिक्षित करने के लिये वैज्ञानिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

## 'उद्योगों के ब्यूरों' के कर्तव्य

'सरकारी उद्योगों के ब्यूरों को वित्त मन्त्रालय से अलग करके एक 'उद्योगों के ब्यूरों' के रूप में पुनर्गठित करना, जो 'संयुक्त राज्य अमरीका' के 'वजट ब्यूरों' की स्थिति एवं सामर्थ्य के समान शक्तिशाली हो।

'उद्योगों के ब्यूरों' के कर्तव्य होने चाहिए कि :—

(१) निम्नलिखित व्यवस्थाओं के लिये मानदण्ड स्थापित करे और उनकी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करे—१. (क) कायिक अथवा परिचालन व्यवस्था और (ख) उत्पादन नियन्त्रण व्यवस्था (२) समन्वय (३) अलग उत्पादन नियोजन विभाग (४) आर० एस० डी० एफ० (प्रवाहिका, कार्यक्रम, प्रेषण एवं अनुसरण) तकनीकें (५) संवादवाहन व्यवस्था (६) रिपोर्टिंग व्यवस्था (७) पी० ई० आर० टी० (नियोजन, मूल्यांकन पुनर्आकलन तकनीक) (८) समान वर्ग के उद्योगों के लिये समान शोध एवं विकास संगठन, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में उनके प्रतिफलो का आदान प्रदान (९) मांग सर्वेक्षण। बाजार सर्वेक्षण (१०) निर्धारित क्षमता की प्राप्ति (११) उत्पादन को अनेक प्रकार से बढ़ाना (१२) कार्यपद संयोग (१३) उत्पादन क्षमता का पुर्ननिर्धारण (१४) लागत व्यय लेखा विभाग जैसे कि उत्पादन नियोजन एवं निययंत्रण विभाग का तुलनात्मक अध्ययन (१५) सरकारी संस्थानों के उत्पादनों के मूल्यों का प्रतिपादन एवं मूल्यों का पुनर्आकलन (१६) निर्यात को प्रोत्साहन।

(२) अपने विभिन्न पहलुओं में व्यवस्थात्मक तकनीकों के सुधार के लिये निर्देश रेखायें बनाना एवं पग उठाना।

(३) लोक सेवा संस्थानो की उपयुक्त व्यवस्थात्मक योग्यताओं की उपलब्धि हेतु सहायता करना।

(४) उनके कार्यों के आकलन और आवधिक अध्ययन के लिए यथा आवश्यक प्रशासकीय मंत्रालयों के सहयोग से एक प्रभावी यंत्र बनाना जिससे यथासम्भव तेजी से कमियों को दूर किया जा सके।

(५) प्रभावी रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करना जिसका अनुसरण 'कार्य क्षमता पुनर्आकलन बैठकों' द्वारा किया जावे।

(६) सरकारी संस्थानों को साथ ही साथ ऐसी वित्तीय एवं प्रशासकीय मामलों से सम्बन्धित शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिससे वे अधिक स्वायत्तता से कार्य कर सकें।

(७) अपने कार्य के दौरान प्रशासकीय सुधार आयोग की रिपोर्ट के सुझावों का विचार करना, जिनका वर्णन उसकी सरकारी क्षेत्रीय संस्थानों की रिपोर्ट में किया गया है, और सरकारी संस्थानों पर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट और सरकारी उपयोगी संस्थानों के आवधिक पुनर्आकलन का विचार करना।

(८) सभी सरकारी संस्थानों के लिये समान शर्त, नीति और मूलभूत सिद्धान्तों की गारन्टी देना।

(९) इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कि किसी संस्थान को हानि उठाकर नहीं चलने देना चाहिये, तो उसकी सफलता कभी भी केवल उसके लाभों के आधार पर नहीं नापी जा सकती है और इसके लिये वे कुल लाभ या समाज की आय जिसमें लगान (भूमि), भृत्ति और वेतन (श्रम), व्याज (पूंजी), लाभ (साहस) और कर (समाज) इत्यादि सम्मिलित हैं, जो उसके कार्यकाल में ही उत्पन्न होते हैं, आधार मानना चाहिये।

(१०) सामान्य शोध के अतिरिक्त भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रकाश में पुनर्निर्धारित चलचित्र आवधिक अध्ययन

(**PMTS**), रीति अवधि मापन (**MTM**) और कार्य परिचालन शोध की टेकनिक पर कुछ विशिष्ट शोध की व्यवस्था करना।

(११) निजी संस्थानों की शोधों, व्यवस्थापन तकनीकी इत्यादि की सूचनायें सरकारी क्षेत्रों में देना और वही सूचनायें निजी क्षेत्रों के लिये एकत्रित करना।

(१२) अखिल भारतीय सर्वेक्षण जिससे—

(अ) उद्योगों में सहयोगी सम्बन्धों पर आकड़े एवं सूचनायें संग्रहीत हों।

(ब) इन सम्बन्धों की प्रकृति का विश्लेषण करना कि वे विकास में सहायक अथवा विरोधी हैं।

(स) १. पूर्णतः आधीन इकाइयां २. उप-संगठन इकाइयों ३. खुले बाजार के बिक्रेताओं और ४. मिश्रित प्रकार की आधीन उद्योगों के विकास एवं स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यकता और दायरे का सुझाव दिया जा सके।

(१३) विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमताओं के सर्वेक्षणों के आधार–पद दोनों ही क्षेत्रों को उद्योग की स्थापना-स्थलों के सम्बन्ध में सलाह देना।

(१४) सम्बन्धित मंत्रालयों, तकनीकी विकास के डायरेक्टर जन–रल, भारत सरकार के मुख्य लागत व्यय लेखा अफसर, आपूर्ति और विक्रय के डायरेक्टर जनरल और संकल्पित औद्योगिक मूल्य आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(१५) भविष्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय आवश्यकताओं का कम से कम २५–३० वर्ष के भविष्य काल के लिये भविष्यावलोकन करना और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सही पगों का प्रारम्भ करना।

(१६) इस तथ्य का विश्वास करना कि प्रत्येक उद्योग का एक स्वाभाविक उद्देश्य है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता को पूर्ण करने का कर्तव्य समझें। प्रत्येक उद्योग के लिए सही स्वामित्व और व्यवस्था का रूप अन्त में वही होगा जो प्रत्येक उद्योग को पूर्ण रूप से और पूर्णता से उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों को समझने में सहायक हो। इस वास्तविक संदर्भ में समय २ पर प्रत्येक उद्योग के स्वामित्व और व्यवस्था के पुनर्आकलन करने होंगे, जिससे क्रमागत श्रमिकीकरण और औद्योगिक स्वतन्त्रता के आदर्शों को प्राप्त किया जा सके।

(१७) निजी क्षेत्रों की औद्योगिक क्रियाओं को प्रभावित करने के लिये मार्गों और रीतियों के सम्बन्ध में सरकार और अन्य अधिकारियों को सलाह देना अर्थात आयविषयक और मौद्रिक नीति द्वारा, लोक व्यय के स्तर द्वारा, सरकारी ठेकों द्वारा, लोक संस्थानों की नीतियों द्वारा. भौतिक नियन्त्रणों द्वारा जैसे—एकाधिकारों अवरोधात्मक व्यवहारों के लिये कानून बनाकर, नये औद्योगिक और कार्यालय—भवनों के नियंत्रण द्वारा और भूमि उपयोग में परिवर्तनों द्वारा, सेवाओं के लिये प्रलोभन, उपदेश और व्यवस्था द्वारा, सूचना एवं सलाह द्वारा और उसके अतिरिक्त कुछ उत्पादकता के लिये निर्यात आयात नियन्त्रणों और कानून द्वारा।

(१८) उद्योगों और श्रम का सहयोग प्राप्त करना, जिससे मूल्यों और आयों के लिये एक ऐच्छिक 'शीघ्र चेतावनी' की व्यवस्था लागू की जा सके।

## सरकारी क्षेत्र का अनुशासन

लोक संस्थानों के प्रशासन को भविष्य में व्यवसायी लोक प्रशासकों को सौंपा जाये और तब तक लोक क्षेत्र में जो सरकारी नौकर लगे हैं उन्हें दायित्व से हटाना जब तक कि वे यह निर्णय न कर लें कि वे पूर्णरूपेण उसी क्षेत्र के कर्मचारी बनने को तैयार हैं। अवकाश प्राप्ति की कगार पर व्यक्तियों को पुनर्नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए।

सम्बन्धित मंत्री को जो सूचनाय, आंकड़े और वित्त सम्बन्धी लेखे वह चाहे उसे प्रदान करना और उसके साथ मिलकर प्रमुख नीति सम्बन्धी निर्णय लेना।

एक वर्ष की अन्य वर्षों की अपेक्षा प्राप्ति और निर्गम के सन्तुलन को रखते हुये व्यवसाय चलाना।

निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय और तकनीकी विकास एवं अनुसन्धान की शोध संस्थाओं के बीच विचार विमर्ष प्रेरित करना एवं चलाना।

समाज कल्याण और प्रकल्प क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के सगठनों की सहायता करना।

## निजी क्षेत्र घर अनुशासन

इस तथ्य का अनुभव करना कि उद्योग, श्रम और राष्ट्र के स्वार्थ एक ही दिशा में क्रमबद्ध हैं।

इस व्यवस्थाक्रम तथा अन्य स्थानों के निर्धारित औद्योगिक अनुशासनों और राष्ट्रीय द्वितीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करना।

लाभ के उद्देश्य, सेवा के उद्देश्य और प्रकाशपुञ्जी आत्म स्वार्थ एवं समान राष्ट्रीय अपेक्षाओं की अनुपूरणा करना।

'उद्योगों के ब्यूरों' को निजी क्षेत्रों में शोध, व्यवस्था तकनीकी इत्यादि की आधुनिकतम सूचनाओं से अवगत कराना और पेटेन्ट अधिकारों के विरोध के बिना 'उद्योग के ब्यूरों' से इन मामलों में लोक क्षेत्रीय सूचनायें प्राप्त करना। लोक संस्थानों से सभी औद्यौगिक, व्यवस्थात्मक वैज्ञानिक सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

निश्चित राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण करना।

लोक क्षेत्र की एक आदर्श सेवायोजक के रूप में बराबरी करना यदि उससे अच्छा न हो सके तो–

औद्योगिक कुटुम्बों के विकास की सहायता करना, जिनमें प्रत्येक में संगठनात्मक दृष्टि से सम्पूर्ण श्रम, पूंजी, और तकनीकी। व्यवस्थात्मक कुशलता सभी व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सम्मिलित हो।

## सहकारी संस्थानों के लिए अनुशासन

संस्थान को पूर्णरूपेण इस उद्देश्य से चलाना कि समस्त सदस्यों को एक आर्थिक सेवा मिले और उनके बीच सौहार्द्र एवं भाईचारा बढ़े ।

अपने सदस्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिये विशेष ध्यान देना और इसके लिये व्यवहार की ईमानदारी, स्वर का विवेक, आलोचना का रूप, पारस्परिक विश्वास और सामूहिक निर्णयों को महत्व देना ।

क्रय और विक्रय नीति की आयोजना एवं पालन करना जिससे माल के गुण, बाजार परिस्थितियों, विक्रय के तत्व एवं परिस्थितियों, सुपुर्दगी का समय और स्थान तथा सुन्दर आदतें आदि पर पूरा ध्यान दिया जाय ।

ठीक और कुशल पुस्तपालन एवं निरीक्षण व्यवस्था लागू करना, माल का स्वच्छ और सुरक्षित रक्षण, उधार और कार्यकारी पूंजी की कुशल व्यवस्था करना, सम्पत्ति का पूर्ण ध्यान रखना और संचालक बोर्ड और सामान्य सदस्यों की आवधिक बैठकों के प्रति उत्तरदायी रहना ।

उद्योगों के अनुसार जिला, राज्य और सहकारी उद्योगों के राष्ट्रीय फेडरेशनों का संगठन करना, जिसके द्वारा विशेषज्ञों का दल बनाया जा सके, थोक में क्रय माल का स्टाक आदि रखा जा सके और सहकारी आन्दोलन के सशक्त एवं संघनित किया जा सके और सरकार से तथा स्थानीय संस्थाओं से योग्य भूमि, भवन या परिषद के अधिग्रहण, ऋण और अन्य साख या वित्तीय व्यवस्थाओं, नियन्त्रित माल की सीधी आपूर्ति और सहकारी आन्दोलन के स्वस्थ विकास के लिये सहायक विधायिका एवं प्रशासनिक सुरक्षा की प्राप्ति के लिये योगदान लिया जा सके ।

उद्योग की व्यवस्था के संदर्भ में और श्रम-संबन्धों में इस व्यवस्था-क्रम में प्रतिपादित सभी व्यवस्थापकों एवं सन्दर्भित उद्योगों के लिये सामूहिक अनुशासन का अनुसरण करवाना ।

## विशेषज्ञों के कर्तव्य

समस्त विश्व की औद्योगिक प्राविधिकी का अध्ययन करना एवं उसे आत्मसात करना।

विदेशी प्राविधिकी के लिये तय करना कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल किन स्थानों पर उनका उपयोग किया जा सकता है और उपयोग करना।

कामगारों के लिये जहां उनके परम्परागत उत्पादन तकनीकों में तर्क शुद्धता से परिवर्तन किये जा सकें उनकी प्रेरणा देना, जिसमें श्रमिकों के विस्थापित होने की जोखिम न हो, प्राप्य व्यवस्थापक और प्राविधिक कौशल का ह्रास न हो और वर्तमान उत्पादन को साधनों का अपूंजीकरण हो, और

अपनी स्वयं की स्थानीय प्राविधिकी का विकास करना, जिसमें उत्पादन की प्रक्रियाओं के ऐसे विकेन्द्रीकरण पर अधिक जोर दिया जाये, जिसमें शक्ति की सहायता फैक्टरी को उत्पादन का केन्द्र न मान कर गृह में ही ली जाये।

## उपभोक्ता मंचों/काउंसिलों के कर्तव्य

उपभोक्ता स्वार्थों की सुरक्षा एवं प्रोत्साहन के सामान्य कार्य के अतिरिक्त विशिष्ट रूप में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञान के फैलाव और सूचनाओं के संग्रह करना। खाद्य पदार्थों, उपादान, मशीनों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के जोखिम से क्रेताओं की सुरक्षा करना, ऐसे पग उठाना जैसे, सतर्कता, अनुसन्धान और कानून इत्यादि जो अन्यायपूर्ण व्यापारिक व्यवहारों, धोखाधड़ी अत्यधिक मूल्य लेना, कम माल तौलना थोकोंवाली पैकिंग, दिग्भ्रमित करने वाला विज्ञापन, सभी प्रकार की धोकेधड़ी इत्यादि को रोक सके और जहां तक सम्भव हो सके उपभोक्ताओं को केवल प्रमाणित और प्रमापित वस्तुयें खरीदने को प्रवृत्त करना।

## चार्टर्ड एकाउटेन्टों के कर्तव्य

'आडिट रिपोर्टों में योग्यताओं का एक वक्तव्य' तैयार करना और उसे व्यवस्थापकों में प्रचारित करना जिससे उन्हें पूर्ण निर्देशन प्राप्त हो सके और आडिटर्स रिपोर्टों में योग्यताओं के सम्बन्ध में उद्देश्य और रूप के लिये सिद्धान्त स्थापित करना।

(अ) अंशधारियों, स्टाक एक्सचेंजों और सरकारी नियमन अधिकारियों की सहायता से व्यवस्थापकों के व्यवहारों का एक उच्च स्तरीय मानदण्ड प्राप्त करने के लिये जनमत बनाना।

(ब) विभिन्न व्यय राशियों के औचित्य का अनुसन्धान करना अर्थात 'औचित्य लेखा परीक्षण'।

अपने को वैज्ञानिक व्यवस्थापना सेवाओं के निमित्त योग्य बनाने के लिये :—

(अ) नियमित रूप से सरकारी प्रकाशनों का अध्ययन करना जैसे उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आयकर राजस्व संमक, व्यापार एवं उद्योग पत्रिका चुने गये उद्योगों में संमक, मासिक सांख्यकीय एक्सट्रैक्ट इत्यादि और व्यवस्थापन विषयों पर विभिन्न पत्रिकायें।

(ब) स्टाक ब्रोकरों, औद्योगिक अभियन्ताओं, विक्रय और विपणि अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों से सम्पर्क बनाना

(स) विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल, सह–उत्पादक और उनके प्रयोग विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त विपणि प्रविधि और रद्दी माल का उपयोग इत्यादि के सम्बन्ध में सूचनायें संग्रह करना।

(द) कार्यपद मूल्यांकन, अनुसूची नियंत्रण, मूल्यविश्लेषण, कार्य अध्ययन, समय अध्ययन, भृत्ति भुगतान प्रविधि, क्रय विक्रय, प्रकल्प विश्लेषण और मूल्यांकन, अन्तर फर्म तुलना, स्टाक एक्सचेंज के कार्य और अंशों का मूल्यांकन इत्यादि जैसे विषयों का अध्ययन।

**व्यवस्थापकों की सहायता करना :—**

(क) मेमोरैण्डम तथा आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन, कम्पनी. प्रास्पेक्टस, कन्ट्रोलर आफ कैपिटल इश्यू को सूचना भेजना, प्राथमिक कागजात और तत्सम्बन्धी मामलों के लेखन को रजिस्ट्रार के पास भेजने में।

(ख) विनियोगों के समीक्षक विश्लेषण एवं मूल्यांकन में।

(ग) वैज्ञानिक अनुसूची व्यवस्थापन में।

(घ) लाभ की अनुभागीय, विभागीय अथवा उत्पादनानुसार विश्लेषण में।

(ङ) बेकार जाने वाले समय के विश्लेषण में।

(च) जहां सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किये गये हों, वहां मूल्य निर्धारण में।

(छ) प्रेरक भृत्ति योजनाओं के विकास में

(ज) विभिन्न वित्तीय एवं परिचालन सम्बन्धी अनुपातों के आधार पर परस्पर प्रतिष्ठानों के अध्ययन में।

(झ) विभिन्न सारणीयों, वर्तुल चित्रों, ऊर्ध्व एवं क्षैतिज दंडचित्रों, चित्र लेखों, विन्दु रेखाओं इत्यादि के आधार पर तथ्यों के निरूपण में।

(त) औद्योगिक वित्त निगम इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थाओं के पास आर्थिक सहायता हेतु जाने के लिये तत्सम्बन्धी प्रदत्तों के संग्रह एवं तर्कशुद्ध निरूपण में।

(थ) महत्वपूर्ण प्रशासकीय (वित्तीय) पदों के लिये अभ्यर्थियों के चुनाव में।

## एक केन्द्रीय श्रम संगठन के कर्तव्य

अपने आपको राष्ट्रीय हितों की सिद्धी के लिये समर्पित करना और अपने से सम्बद्ध इकाइयों को तदर्थ निर्देश करना ।

राष्ट्र, उद्योग और श्रमिक के बीच एकरूप संबन्धों के लिये प्रयत्न करना और उन्हें स्थापित करना ।

समाज के अन्य प्रत्यंगों से विचार विमर्ष में भाग लेना, जिससे उन्हें श्रमिक आवश्यकताओं और इन संस्थाओं से की गई आशाओं के प्रति सूचित किया जा सके और उन अपेक्षाओं के अनुसार अपने सम्बद्ध इकाइयों का मार्गदर्शन करना जिससे सामाजिक अर्थ व्यवस्था का सही रूप आवे और राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की प्रनिस्थापना हो सके ।

यूनियनों, व्यावसायिक संस्थाओं, राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघों और अपने क्षेत्रीय सम्बद्ध संस्थाओं के मूलभूत कार्यों का मार्गदर्शन, निर्देशन, निरीक्षण और समन्वय करना, जिससे वे श्रम के एक संगठित शरीर के प्रत्यंग बनकर घोषित उद्देश्यों को समर्पित हो जावें ।

## राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघों के कर्तव्य

भारतीय संकल्पना के अनुकूल एक औद्योगिक परिवार के विकास एवं स्थापना का प्रयत्न करना।

अपने से सम्बद्ध यूनियनों का प्रविधिक मामलों, औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक समस्याओं इत्यादि के विषयों पर मार्गदर्शन करना।

उद्योग के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समस्याओं के सम्बन्ध में सूचित रखना, औद्योगिक शोध में सहायता देना और उसके अध्ययन एवं निर्णयों के प्रकाश में श्रमिकों को मार्गप्रदर्शन रेखायें प्रदान करना।

एक केन्द्रीय श्रम संगठन का अपने को अंग मानना और उसके विशद अनुशासन के अंतर्गत कार्य करना।

उद्योग की सहायता से विशद सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण की योजनायें उद्योग के श्रमिकों और परिवारों के लिये बनाना और उन्हें चलाना।

अल्पतम सामाजिक लागत पर एक प्राविधिक सन्तुलन से दूसरे उच्च या भिन्न प्राविधिक संतुलन के बदल की समस्याओं के विषय पर व्यवस्थापकों से वार्ता करना।

विभिन्न फर्मों या इकाइयों में लगी पूंजी और प्रविधिक ज्ञान के उपयोग की स्थिति पर विशेष रूप से उद्योग के व्यावसायिक प्रारूप का सतत अध्ययन करना और राष्ट्रीय कार्यपद मूल्यांकन योजनाओं को चलाना और उद्योग के अंदर भर्ती, प्रशिक्षण, पदवृद्धि और व्यावसायिक सन्तुलन की समस्याओं को सुलझाना।

राष्ट्रीय मंचों, वेजबोर्डों, ट्रिब्युनलों इत्यादि पर उद्योग के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना।

## यूनियन के कर्तव्य

विभिन्न प्रकार के कार्यों का संगठन करके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा एवं विकास करना, जैसे–अधिनियमों का पालन, एवार्ड, समझौते इत्यादि, वर्तमान अधिकारों एवं सुविधाओं की रक्षा करना एवं दिलवाना, पत्र व्यवहार, द्वारा प्रतिनिधित्व विचार विमर्ष, घरेलू इन्क्वायरी और श्रम न्यायालयों में जाकर, मांगपत्र की प्रतिपादन एवं प्रस्तुतीकरण द्वारा, वार्ता, मध्यस्थता, समझौता वार्ता, पंचनिर्णय, अभिनिर्णय, वेजबोर्ड, ट्रिव्यूनल इत्यादि में भाग लेकर सम्बन्धित श्रम और औद्योगिक न्यायालयों उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय आदि में विवाद प्रस्तुत करके, भृत्ति, श्रमिक क्षतिपूर्ति, प्राविडेन्ट फन्ड, राज्य बीमा तथा अन्य देयराशियों के लिये मांग करके विभिन्न सरकारी कमेटियों और पंचों और प्रेस, जन सभाओं, राज्य विधायिकाओं संसद इत्यादि में प्रश्न उठाकर, लोक अफसरों के हस्तक्षेप की मांग करके जैसे श्रम कमिश्नर, मंत्री इत्यादि और जन आन्दोलनों का आयोजन करके जैसे–प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शक नारों, बैज पहनकर, मोर्चे, नियमानुसार कार्य आंदोलन, सामूहिक आकस्मिक अवकाश ग्रहण, भूखहड़ताल और अन्तिम अस्त्र के रूप में 'धीरे चलो' आन्दोलन, 'कलम छोड़', 'बैठ जाओ' हड़तालें, सांकेतिक हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल इकाई, क्षेत्रीय, या राष्ट्रीय स्तर पर उनके सेवायोजन के तत्व और परिस्थितियों के सुधार के लिये, उनके कार्यकारी और आवासिक परिस्थितियों के सुधार के लिये और उनके लिये एक उच्च जीवन निर्वाह स्तर और औद्योगिक और सामाजिक जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए।

कान्फ्रेंसों, अध्ययन वर्गों, द्वार सभाओं, सभाओं, विचार गोष्ठियों, विचार प्रदर्शिकाओं, पत्रिकाओं, पैम्फलेटों, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, प्रेस

वक्तव्यों, लेखों आदि द्वारा श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से प्रशिक्षित करना और उद्योग को समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रतिक्रियात्मक सहयोग प्रदान करना।

सामाजिक एवं कल्याणकारी क्रियाओं को संगठन एवं परिचालन करना जैसे–आवास सहकारी समितियां, साख समितियाँ, कैन्टीन, खेलकूद, मनोरंजन सम्बन्धी क्रियायें इत्यादि।

एक राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशन और एक केन्द्रीय श्रम संगठन का प्रत्यंग बनना और अपने प्रत्यंगों द्वारा श्रम और उद्योग से सम्बन्धित नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का यत्न करना और अपने दैनन्दिन कार्यक्रमों, व्यवहार एवं विशद नीतियों में ऐसे केन्द्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशन के अनुशासनों का पालन करना।

## व्यवसायिक संस्थाओं के कर्तव्य

व्यवसायों के लिये वृत्ति मानदण्डों को विकसित करना एवं उनके सन्मुख रख कर उनका एक रूपी पालन करना।

उद्योगों को व्यवसाय की प्राविधिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सलाह देना और औद्योगिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों में व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करना।

अंकात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही मदों में सम्बन्धित उद्योगों में राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण करना और इस उद्देश्य के लिये नियोजन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से सहयोग करना।

व्यवसायिक प्रगति, जोखिमों और व्यवसायिक रोगों में सतत प्राविधिक शोध चलाना।

अन्तर-व्यवसायिक-भृत्ति और स्थिति-विभेदों के विकास में उदारता से हिस्सा लेना और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय निर्णयों के प्रति श्रद्धा निर्माण करना।

विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में व्यवसायिक वर्गों के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार के लिए प्रयत्न करना और वैयक्तिक कार्यों के योग्यता परिमापन की और पुरस्कार की योजनायें बनाना जिससे व्यवसायिक व्यवहार, अनुशासन और प्राविधिक गुरुत्व के मानदण्डों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो।

व्यवसाय के लिये कुल कार्यकारी जीवन का निर्धारण करना विशेषरूपेण रेयान उद्योग या ड्राइवर के व्यवसाय इत्यादि के लिये और समय पर ही उचित वैकल्पिक नौकरियों पर परिवर्तन की योजना बनाना।

## श्रम सहकारी समितियों के कर्तव्य

मध्यस्थों के द्वारा शोषण से श्रमिकों की सुरक्षा करना ।

अपूर्ण सेवायोजित और बेरोजगारों के लिये सेवायोजन अवसरों की व्यवस्था करना ।

उन्हें समुचित भृत्तियों के तात्कालिक भुगतान की सुरक्षा देना ।

लाभ के एक भाग से अपने सदस्यों को बोनस देना ।

## एक श्रमिक के कर्तव्य

भारत में श्रम आन्दोलन के इतिहास, श्रम आन्दोलन के सभी क्षेत्रों के आधारभूत मार्गों का ज्ञान रखना और स्पष्टतया एक अपनी पसन्द की यूनियन का अंग बनना और उसके आदर्श और अनुशासन के प्रति आत्मीयता रखना।

प्रतिदिन के लिये ईमानदारी से एक दिन का श्रम करना।

अपना दायित्व अपने प्रति, अपने परिवार, ब्यवसाय, उद्योग, क्षेत्र, सहकारी श्रमिकों, नागरिकों और राष्ट्र के प्रति समझना, उनमें प्रवाहित अनुशासनों का पालन करना और अपनी यूनियन और सहयोगी संगठनों के द्वारा औद्योगिक जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाना और मानदण्डों की रक्षा करना जिनके द्वारा अपने कर्तव्यों और अनुशासनों का प्रभावी रूप से पालन कर सकें।

एक संगठित समाज के आदर्शों को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय, औद्योगिक और वर्ग वरीयताओं को ठीक प्रकार से तालमेल बिठाते हुए श्रद्धा करना।

## श्रम : कानून की स्थिति

'श्रम' को केवल केन्द्रीय (यूनियन लिस्ट) सूची में रखना। औद्योगिक विवाद विधेयक (I. D. Act 1946) में 'सम्बन्धित सरकार' की परिभाषा में संशोधन। वे संस्थान जिनकी कार्यवाहियां एक से अधिक राज्यों पर फैली हुई हों 'सम्बन्धित सरकार' केन्द्रीय सरकार होनी चाहिये।

ट्रेड यूनियन ऐक्ट में, उस ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का अधिकार, जिसका कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य पर बिखरा हो, केवल ट्रेड यूनियन का केन्द्रीय रजिस्ट्रार (केन्द्रीय सरकार) को होना चाहिए।

किसी भी राज्य में श्रमिक के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बिना परिवर्तित किये हुए समान समस्याओं के निराकरण के लिये एक 'सामान्य श्रम संहिता' होना चाहिये, जिसमें एकरूपी परिभाषायें, सम्बोध और मानदण्ड हों।

राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (I R C) बनाना और राष्ट्रीय आयोग के अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करने वाला एक समान उद्देश्यीय आयोग राज्य में भी बनाना।

औद्योगिक सम्बंध आयोगों की शक्तियों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, एक अलग अखिल भारतीय सेवा इस उद्देश्य के लिये बनाना। उसके अफसरों के लिये एक आवधिक सम्मेलन की व्यवस्था करना और औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों को शक्ति प्रदान करना, जिससे वे किसी भी स्थिति में औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप कर सकें।

मान्यता के मानदण्डों के निमित्त औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों को एक दृढ़ मार्गप्रदर्शक रेखा प्रदान करना।

## श्रम प्रशासन

क्योंकि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक सम्बन्धों के आयोगों की स्थापना के सुझाव को देकर श्रम प्रशासन के प्रश्न को व्यवहारत: अविचारित छोड़ दिया है और वह प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता है। एक कमेटी तत्काल नियुक्त की जानी चाहिये, जो मार्ग एवं रीतियां श्रम मामलों में प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिये खोजे और सुझाव दें। यह कमेटी अन्य बातों के अतिरिक्त श्रम प्रशासन के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने में अपने को लगावे :—

(१) श्रम पर नीति सम्बन्धी निर्णयों त्रिदलीय संस्थाओं के सामान्य निर्देश, मंत्रियों, सरकारी अफसरों और सेवायोजकों द्वारा दिये गये मौखिक और अन्य आश्वासनों को लागू करने की रीतियों की खोज।

(२) वेजबोर्डों के फैसलों, अवार्ड इत्यादि का क्रियान्वयन जो विवाद कमजोरियों और निर्वचन के प्रश्नों के सन्दर्भ में हो जो इन तृतीय पक्षों के निर्णयों में प्राय: पाये जाते हैं।

(३) विभिन्न पक्षों के बीच किये गये समझौतों के पालन न करने के प्रश्नों, जिनमे वे मामले भी शामिल हैं जहां ऐसे समझौतों में संकल्पित पारस्परिक दायित्वों के सम्बन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और सेवायोजकों एवं श्रमिक संगठनों ने अपने सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये कोई अनिवार्य शक्तियां सुरक्षित नहीं रखी हैं।

(४) श्रमिकों की अदेय राशियों का शीघ्र भुगतान जो सेवायोजकों की प्रवृत्तियों और क्षमता हीनता के कारण उत्पन्न हुई हैं, श्रम प्रासीक्यूटरों की नियुक्ति।

(५) विभिन्न विधेयकों का पालन करवाने के लिये कुछ विषयों का विशेष अध्ययन जैसे, आकस्मिक एवं आदतन अपराधी, गुण, चरित्र और निरीक्षकों की संख्या (जिसमें वित्तीय सीमाओं के कारण उत्पन्न होने वाले भी शामिल हैं) मुकदमे की सीमायें, विभिन्न स्थानीय संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों और सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न, निम्नलिखित प्रमाणित व्यवहारों का अविचार जैसे इकाई का उपविभाजन, अस्थायी श्रमिकों के प्रति व्यवहार इत्यादि।

(६) वे क्षेत्र जहां क्रियान्वयन एवं सतत प्रक्रिया है जैसे आवास व्यवस्था, कल्याण, कार्यभार, पदवृद्धि इत्यादि के समझौतों अथवा नीतियों में।

(७) व्यवहारिक कठिनाइयां जो उन मामलों में उत्पन्न होती हैं जहां सरकार या लोक संस्था एक सेवायोजक हो अथवा जहां क्रियान्वयन एक कानूनी नियम की जिम्मेदारी हो जैसा कि श्रमिक राज्य बीमा या प्राविडेन्ट फंड योजनाओं, पेन्शन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं में।

(८) कार्यकारी परिस्थितियों और सन्निहित सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन।

(९) अन्यायपूर्ण श्रम-व्यवहारों से उत्पन्न होने वाली समस्यायें।

(१०) प्रबोधन एवं अनुमोदन के क्षेत्रों का सीमांकन और पहिले में जनविचार और दूसरे मे हतोत्साहित जुर्माने और सजायें।

(११) अच्छे प्रशासन की पूर्व आवश्यकतायें जैसे, नीति निर्धारण में पक्षों की संयुक्ति या श्रमिकों के मामले को उठाने में आवश्यक सावधानियां।

(१२) विशिष्ट निदेशकों या एजेन्सियों के प्रशासन का प्रश्न जैसे निर्देशांक बनाना, श्रम-शोध का प्रोत्साहन आदि।

(१३) राजनीतिज्ञों, ट्रेड यूनियनवादियों, सेवायोजकों, जासूस, विज्ञापनकर्ता इत्यादि के द्वारा अनेक खिंचाव और दबाव में कार्य करने वाली नौकरशाही व्यवस्था में पालनहीनता के दायित्व का निर्धारण।

(१४) प्राविधिक परिज्ञान की आवश्यकता वाले प्रश्न जैसे, प्रेरक योजनाओं, कार्यपद–मूल्यांकन इत्यादि।

(१५) कानून की संदिग्धताओं का शीघ्र पता लगाना।

(१६) लघु इकाइयों के मामलों में पालन की अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां।

(१७) सरकारी प्रक्रमों का सरलीकरण।

(१८) श्रमिक समस्याओं की मनोवैज्ञानिक प्रकृति और उनसे उत्पन्न होने वाली प्रशासकीय प्रतिक्रियायें।

## विशिष्ट औद्योगिक विवाद सन्नियम

श्रमिकों के स्वार्थों की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्ट औद्योगिक विवाद सन्नियम बनाना।

(१) शैक्षिक संस्थायें
(२) समाजिक कल्याण–संगठन
(३) घरेलू नौकरी (घरेलू नौकर)
(४) अस्पताल
(५) श्रमिक सहकारिताओं के अतिरिक्त अन्य सहकारितायें
(६) निर्माणकारी कार्य
(७) छोटी काया–उद्योग
(८) कुटीर उद्योग
(९) मौसमी उद्योग
(१०) रिक्शा–चालन
(११) मल्लाह कार्य
(१२) कृषि
(१३) बन
(१४) विभिन्न कलाओं की संस्थायें और संस्थान
(१५) भूतपूर्व शासकों की नौकरी (भूतपूर्व राजा)
(१६) वकील सालिसिटर और अन्य कानूनी एजेन्सीयों की फर्में
(१७) दूकान और व्यापारिक संस्थान

## अलग निवारक मशीनरी

निम्नलिखित की परिवेदना के निवारण हेतु समुचित मशीनरी बनाना :—

(१) सैनिक कर्मचारी

(२) पुलिस कर्मचारी

(३) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा सेवा के सदस्यों के लिये।

(४) कार्मिक संस्थाओं के कर्मचारीगण

(५) विदेश सेवाओं के अफसर एवं कर्मचारीगण

(६) जासूसी विभागों के कर्मचारीगण

(७) प्रशासनिक एवं व्यवस्थापना श्रेणियों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अफसर एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

(८) अनुज्ञाप्राप्त श्रमिक (लाइसेन्ससुदा श्रमिक)

## स्थायी आदेश

परिवर्तित परिस्थितियों के दृष्टिकोण से और प्रतिफल में अब तक अनुभूत कठिनाइयों के कारण आदर्श स्थायी आदेशों का समुचित पुनर्आकलन ।

## निम्नलिखित के लिए अलग समुचित स्थायी आदेश

(१) दूकानें एवं व्यापारिक संस्थान

(२) लघुकाया उद्योग

(३) कुटीर उद्योग, जो कौटुम्बिक आधार पर परिचालित नहीं होते हैं ।

(४) आकस्मिक श्रम का सेवायोजन करने वाली संस्थान ।

## अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहार

महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों की कमेटी द्वारा स्पष्टीकृत अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों का (जुलाई, १९६९) निषेध और उनके लिये जुर्मानों का प्रयोग।

उद्योगानुसार अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों की अतिरिक्त सूचियां बनाई जायें, उदाहरणार्थ :—

(१) कम भुगतान, अनपेक्षित कटौतियां, अनुपस्थिति के लिये अतिरिक्त कटौतियां, चर्म–शोधन में।

(२) बीड़ी और चर्मशोधन में श्रमिकों को माल वितरित करना और उनसे वापसी में बना हुआ माल प्राप्त करने में कानून का चक्कर-दार घुमाव।

(३) बीड़ी, पावरलूम इत्यादि में एक संस्थान को छोटी इकाइयों में बांट कर कानूनी व्यवस्थाओं की अवहेलना।

(४) दुर्भाव से बीड़ियों की अस्वीकृति और प्रतिफल में भृत्ति से कटौती करना।

(५) विष्ठा को सिर पर ले जाना और स्वच्छकारों/रविश कर्म–चारियों के लिये जागीरदारी / जजमानी व्यवस्था और सहकारिताओं के लिये —

(६) किसी सहकारी संस्थान में कर्मचारियों के अंशधारण पर प्रतिबन्ध।

(७) एक सहकारी संस्था के कथित उद्देश्यों से श्रमिकों से व्यवहार करते समय विचलन और

(८) उन्हें उस सहकारी संस्था की व्यवस्था में भाग लेने के अवसर से वंचित करना जिसमें वे काम कर रहे हों।

## श्रम सांख्यिकी

श्रम सांख्यिकी की कान्फ्रेस (CLS) के सुझावों का क्रियान्वयन— अव्यवस्थित क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी उपयोगी समंकों का आवधिक संग्रह और समयोचित प्रकाशन, अर्थात दूकानों और व्यापारिक संस्थानों, लघुकाय उद्योगों तथा कृषि आदि ।

कम्पनी अधिनियम १९५६ में संशोधन, जिससे कर्मचारियों की संख्या, ग्रेडों, पदनामों, भृत्ति-श्रेणियों, महगाई, भत्ता दर, बोनस इत्यादि के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सूचनाओं को देने वाली अनुसूची निम्न-लिखित की वार्षिक सामान्य रिपोर्ट में शामिल कर ली जायें—(१) लोक सीमित प्रमण्डलों (२) लोक क्षेत्रीय संस्थानों (३) सहकारी समितियों (४) पंजीकृत समितियों जैसे शैक्षिक संस्थायें आदि ।

श्रम शोध की केन्द्रीय संस्था को सक्रिय बनाना, जिससे श्रम और सेवायोजन के विभाग द्वारा संकल्पित श्रम शोध का उसके एक कार्य के रूप में समन्वय किया जा सके तथा एक संकल्पित श्रम सांख्यिकी व्यवस्था का विकास हो सके ।

**निर्देशांक संकलन—**

सभी औद्योगिक केन्द्रों में एक नया श्रमिक वर्ग आयव्ययक अनु-सन्धान, और स्थानीय, राज्यीय और अखिल भारतीय स्तरों पर एक वस्तुगत एवं वैज्ञानिक आधार पर श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह निर्देशांक का पुनर्संकल्प ।

## मान्यता

मान्यता की समूची समस्या औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए।

सभी स्तरों पर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिये यूनियनों के सदस्य श्रमिकों के एक गुप्त मतदान के प्रतिफलों को आधार रूप में स्वीकार करना।

अपने क्षेत्रों, संस्थानों, व्यवसायों या श्रेणियों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए उनका प्रतिनिधि स्वरूप सुरक्षित रखने के लिये स्थानीय क्षेत्र या संस्थान व्यवसाय-श्रेणी–स्तर पर मान्यता ऐसे यूनियन को दी जानी चाहिए, जिनको उद्योग स्तर व राष्ट्रीय आधार पर मान्यता प्राप्त नही है परन्तु उनकी सदस्य संख्या सम्बन्धित क्षेत्र स्तरों पर औद्योगिक स्तर या राष्ट्रीय आधार पर मान्य यूनियन से अधिक है।

मान्यता प्रदान करने के लिये :—

(१) सम्बन्धित संस्थान के कम से कम ५५% श्रमिकों में यूनियन की सदस्यता व्याप्त होनी चाहिए।

(२) जहां कोई एक यूनियन उक्त परिस्थिति को पूर्ण न करती हो वहां सभी यूनियनें, जो ३०% या उससे अधिक श्रमिकों की सदस्यता रखती हो उन्हें मान्यता देनी चाहिये।

(३) केवल उन्हीं व्यक्तियों की सदस्यता गिनी जानी चाहिये, जो गिनते समय से ठीक पूर्व लगातार ६ महीनों का चन्दा दे चुके हों।

मान्यता प्राप्त और मान्यता रहित यूनियनों के बीच निम्नलिखित मामलों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये—

(१) सदस्यों द्वारा देय सदस्यता शुल्क चन्दा संस्थान के परिसर में संग्रह करने के लिये।

(२) संस्थान के परिसर पर नोटिस बोर्ड स्थापित करना या करवाना और उस पर बैठकों, सभाओं, खाता लेखों का विवरण और अन्य सम्बन्धित घोषणाओं को चिपकाना या चिपकवाना।

(३) संस्थान के अन्दर किसी भी स्थान का पूर्ण व्यवस्था के अनुसार निरीक्षण।

(४) संस्थान की कार्य सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति।

मान्यता रहित यूनियन को अधिकार होना चाहिये कि वैयक्तिक मामलों में वह प्रतिनिधित्व कर सकें, जो भी समझौता हो गया है उसका निर्वाचन करना और कठोरता से पालन; व्यवस्थापन और मान्यता प्राप्त यूनियन समझौते में यदि कोई बात रह गई हो तो उसके लिए न्यायालयों तक पहुंचना, व्यवस्थापन के द्वारा प्रेषित संवादों और शिष्ट मण्डलों को दिये गये प्रत्युत्तरों को प्राप्त करना और मान्यता प्राप्ति के एक वर्ष के बाद मान्यताप्राप्त यूनियन की स्थिति को ललकारना।

## श्रम न्यायपालिका

श्रम न्यायपालिका के पूर्ण व्याप्त अनुशासन के अन्तर्गत एक श्रम पक्ष का निर्माण तीन विभागों वाला, यथा—

(१) श्रम न्यायालय के वर्तमान अधिकारों पर विचार करने के लिए जैसे श्रम कानूनों, फैसलों, समझौतों इत्यादि के निर्वाचन एवं पालन के लिये।

(२) औद्योगिक न्यायालय, मांगों के सम्बन्ध में झगड़ों का फैसला करने के लिए।

(३) प्राविधिक न्यायालय, प्राविधिक विषयों का फैसला करने के लिए जैसे, प्रेरणा योजनायें, कार्यपद मूल्यांकन, कार्यभार इत्यादि।

न्याय को सस्ता एवं शीघ्रकारी बनाना।

क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में और राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी में विवादों पर विचार करने को प्रोत्साहित करना।

केवल 'कानूनन' के न्यायालयों के स्थान पर 'न्याय' के न्यायालयों का दायित्य उठाना।

## अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपयोगी, कन्वेन्शनों का समर्थन करना जैसे--

कन्वेन्शन ८७-'सहयोग की स्वतन्त्रता व और संगठन करने के अधिकार की सुरक्षा'।

कन्वेन्शन ९८-'संगठन करने का अधिकार एवं सामूहिक सौदेबाजी' (यह कल्पना करना गलत है कि भारत में बलात श्रमोपयोग व्यवस्था चलती है)

भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में और आई० एल० ओ० द्वारा भारत में किये गये कार्यों को प्रचारित करना एवं महत्व देना।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपने ५० वें वार्षिक समारोह पर चलाई गई 'अखिल विश्व सेवायोजन योजना, में उत्साहपूर्वक भाग लेना, प्रतिफल में 'एशियाई मानव शक्ति योजना' की सफलता की कामना करना और इसके लिये जोरदार राष्ट्रीय सक्रियता को जाग्रत करना जिससे मानव शक्ति योजना की विशद योजनायें लागू हों और शक्तिशाली बनें और प्रतिफल में उत्पादक सेवायोजन के उच्चतर स्तरों को प्रोत्साहित करने वाले उद्देश्यों और विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न बढ़ती हुई मांग की समुचित आपूर्ति प्रशिक्षित मानव शक्ति द्वारा किये जाने के उद्देश्यों की अन्तर्निर्भरता की अनुभूति हो।

निम्नलिखित तीन तत्वों पर आधारित निर्देशन के सामान्य अर्थ को स्वीकार करना—

(१) विश्व उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता।

(२) बढ़े हुए उत्पादन के प्रतिफलों को अधिक न्यायपूण वितरण और

(३) सम्पूर्ण समाज के पूर्ण भागीदारी को प्राप्त करने की आवश्यकता, जो उत्पादन विकास और उत्पादन के न्यायपूर्ण वितरण के लिये आवश्यक कार्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मंच का पूर्ण उपयोग भारतीय मजदूर संघ के आदर्श 'श्रमिको दुनियां को एक करो' के मूर्त रूप करने के निमित्त किया जाय।

# सरकारों की सेवाओं के अनुशासन

## सामान्य अनुशासन

आचरणों के इस व्यस्थाक्रम में अन्य स्थान पर प्रतिपादित निम्न-लिखित सामान्य अनुशासनों का पालन करना—

(१) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम भृत्ति देना (२) कार्यपद-मूल्यांकन पर आधारित भृत्ति—विभेदों को अपनाना (३) प्राप्त राशियों को वैज्ञानिक रीति से संकलित जीवन निर्वाह निर्देशांक से सम्बद्ध करके वास्तविक भृत्ति की सुरक्षा करना (४) गृह, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा लघु सुविधायें प्रदान करना (५) निर्देशांक-आबद्ध पेंशन योजना के द्वारा सामाजिक सुरक्षा लागू करना (अन्तिम वेतन प्राविडेन्ट फण्ड एवं ग्रेच्युटी के ५० % तक उसके परिभाग वृद्धि की व्यवस्था के साथ) (५) छुट्टियां, अवकाश और कार्य-कारी घंटे (७) पदवृद्धि नीति (८) कल्याणकारी सुविधायें (९) सुरक्षा और व्यावसायिक रोगों की रोकथाम (१०) वज्रपातों से बचने की व्यवस्था (११) यूनियनों की मान्यता (१२) वेतन स्वरूप (१३) विशेष वेतन भत्ते इत्यादि और (१४) वरिष्ठता।

## सरकारी की सेवायें

### विशिष्ट अनुशासन

तत्काल ही तृतीय वेतन आयोग की नियुक्ति करना और तदुपरान्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्वरूप का समय समय पर पुनर्आकलन करना।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा विभिन्न राज्यीय सरकारों के कर्मचारियों के परस्पर वेतन क्रमों के अन्तरों को दूर करना ।

भूतकाल में उपेक्षित कर्मचारियों की श्रेणियों को जिन्होंने इसी कारण आवेदन किये हों विशेष ध्यान देना।

यूनियन सक्रियता के कारण सन् १९६० और सन् १९६८ की हड़तालों के दोषारोपित कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति।

यूनियन सक्रियता के कारण आरोपित विभिन्न दण्डों से कर्मचारियों को मुक्ति दिलाना और क्षतिपूर्ति करना जैसे, सेवाकाल में टूट, अनिवार्य अवकाश प्राप्ति इत्यादि।

मान्यता प्राप्त यूनियनों के फेडरेशनों को सामान्य माँगों और अन्य बातों के लिये मान्यता प्रदान करना।

त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकारी और मान्यता प्राप्त यूनियनों के समुचित प्रतिनिधित्व वाली अनिवार्य पंचनिर्णय मशीनरी का विकास, प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन करना।

# सरकारों की सेवायें

## भत्ते एवं सुविधायें

विभिन्न नगरों और क्षेत्रों की तुलनात्मक मंहगाई के निर्देशांकों के संकल्प के लिये एक मशीनरी बनाना और उनका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान किराया और क्षतिपूरक भत्ते के निर्धारण में किया जाना चाहिये।

समुचित शीतकालीन भत्ता, पर्वतीय या मरुस्थलीय भत्ता और पानी भत्ता उन कर्मचारियों को देना जो विशिष्ट परिस्थितियों के कारण व्यथित हुए हैं जैसे कठिन शीत, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र या मरुस्थलीय रास्तों या पानी की दुरलभता से।

अतिरिक्त ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से अधिक रुक जाने पर सरकारी कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता देना जो कि बढती हुई जीवन निर्वाह लागत के अनुपात में पुनर्निर्धारित की जाये।

किसी पंजीकृत डाक्टर के प्रमाण पत्र स्वयं या निर्भर व्यक्तियों के लिये औषध्युपचार का व्यय की वापसी और उसके लिये औषधि बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी भी प्रणाली का प्रयोग मान्य होना चाहिये।

सभी भर्ती व्यक्तियों और बाहरी रोगियों को जहाँ भी आवश्यक हो औषध्युपचार के निमित्त अग्रिम धन देना।

बच्चों की शिक्षा पर किये गये व्यय की वापसी उनके २० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।

ऐसे मामलों में जहां बच्चों को पिता/माता के कार्य–स्थान से दूर रहना पड़े तो उनके लिये शिक्षा का भत्ता प्रदान करना।

'अवकाश पर्यटन छूट' को इतना उदार बनाना कि देश के किसी भी भाग के लिए प्राप्य हो और सारे भ्रमण के पथ के लिये देना, जिसमें उस व्यक्ति का और उसके परिवार के दो व्यक्तियों का व्यय शामिल हो और अवकाश और भ्रमण की अवधि का समायोजन का पूर्ण प्रबन्ध रहे।

कर्मचारियों और उनके बच्चों के लाभ के लिये कल्याण फंड की अनुपातिक राशि के उपयोग की योजनाओं का विकास करना और उसके लिये स्पोर्ट्स और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना।

श्रेणी ३ व ४ के कर्मचारियों को साइकिल या द्विचक्रक स्वचालित वाहन या श्रेणी २ और १ के अर्धस्थायी अफसरों को मोटरकार खरीदने के लिये प्राय: अग्रिमधन देना जो वाहन के पूरे खरीद व्यय के बराबर हो; अफसरों को वाहन का विशेष बीमा कराना आवश्यक नहीं होना चाहिये।

# सरकारों की सेवायें

## आवास—भवन

केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों के संयुक्त कार्यान्वियन हेतु एक योजना बनाना जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये समुचित आवासिक गृहों का निर्माण किया जाए और उनके संयुक्त सरोवर से वरिष्ठता और कार्य की आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रदान करना । इस बात की जांच करते रहना कि कोई भी आवासिक गृह अपने विभागीय कोटा के अन्तर्गत खाली नहीं रहने दिया जाये जब तक नगर में किसी विभाग के लिए स्थान का अधिकार हो ।

कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासिक व्यवस्था का उपयोग उस समय तक ऐच्छिक रखना चाहिए जब तक कि डयूटी की विशिष्ट प्रकृति उसे आवश्यक न बनाये ।

कार्य स्थानों के करीब समुचित गृहों का निर्माण करना या उन अफसरों के लिए कार्यालय के परिसर में ही गृहनिर्माण जो 'विच्छिन्नता डयूटी' में लगे हैं जैसे चौकीदार, संरक्षक इत्यादि ।

ट्रान्सफर पर आने वाले अफसरों के लिए उनके डयूटी ग्रहण करते ही तत्काल अवासिक व्यवस्था करना ।

कार्यचयन हेतु एक ऐसी गृहनिर्माण योजना बनाना जिसके अन्तर्गत चाहने वाले सरकारी अफसरों को 'किराया क्रय व्यवस्था'

के अनुसार गृह/गृहभाग खरीदने की सुविधा मिले और उसके समस्त कार्यकाल पर वितरित सरल किस्तों में उसे वसूल किया जावे ।

अवकाश प्राप्त करने वाले सरकारी अफसर को उसकी पसन्द के स्थान पर निर्धारित नाप जोख का एक मकान खरीदने का अवसर देना जिससे वह समझौते के अनुसार मासिक किस्तों पर मकान खरीद सके ।

सरकारी नौकरों को सहकारी समितियां बनाने की सुविधाएं प्रदान करना—(१) विभाग के सरकारी नौकर (२) विभिन्न विभागों के सरकारी नौकर और (३) सरकारी नौकर और अन्य नागरिक जो भूमि अधिग्रहण करेंगे उसे नगरपालिका की योजना के अनुसार विकसित करेंगे और उन्हें सदस्यों को प्लाटों के रूप में देंगे जो समितियों या सरकार से ऋण लेकर मकान बनवायेंगे ।

समिति यह भार अपने ऊपर भी ले सकती है कि सरकारी नौकरों को निश्चित गृह-निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करे और गृहों/गृहभागों का निर्माण कार्य संयुक्त रूप से करके सदस्यों को बांटे ।

स्वयं सरकारी बसें चलवाकर या नागरिक परिवहन सेवा के सहयोग से सरकारी नौकरों के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

रिहायशी क्षेत्रों में बाजार, स्कूल, जल आपूर्ति, पार्क, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, मनोरंजन केन्द्र और अन्य सुविधाएं प्रदान करना ।

## सरकारों की सेवायें

### स्थानान्तरण

जब परम आवश्यक हो तभी स्थानान्तरण करना।

ऐसे अफसरों को डेपुटेशन की सुविधाएं देना, जिन्हें सेवा परिस्थितियों के अनुसार स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है और उस समय भी जबकि वे उसी संस्थान में किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर किये जाएं।

स्थानान्तरण करते समय स्वेच्छा से आने वाले व्यक्तियों की मांग करना।

प्राप्य राशियों की सुरक्षा देना।

अतिरिक्त भत्ता या क्षतिपूर्ति भत्ता देना।

श्रेणी में सबसे नीचे के व्यक्ति का स्थानान्तरण करना।

नये स्थान पर स्थानान्तरित व्यक्ति को डियूटी ग्रहण करते ही समुचित आवास व्यवस्था दी जानी चाहिये, उसे ड्यूटी ग्रहण करने के लिये समुचित भारग्रहण–अवधि दी जानी चाहिए और तत्सम्बंधी सुविधाएं जैसे अग्रिम वेतन, पर्यटन किराया, कुली व्यय इत्यादि दिया जाना चाहिए।

कार्यकारी सत्र प्रारम्भ या बन्द होते समय ट्रांसफर करना।

आदेश के निकालने से पहिले सम्बंधित अफसर को काफी समय पूर्व नोटिस मिल जानी चाहिये।

कर्मचारियों से हुए समझौते के विपरीत पर उन्हें या उनके संगठनों को दिये आश्वासनों के विपरीत हुए स्थानान्तरण को समाप्त करना।

बाहर स्थान को स्थानान्तरित अफसर के लिये वह अवधि स्पष्ट करना जितने समय को स्थानान्तरण किया गया हो।

जितना शीघ्र सम्भव हो उन्हें वापस बुलाना।

# सरकारों की सेवायें

## पुनर्गठन

विशाल लोकहित में जब अत्यन्त आवश्यक हो तभी विभागीय प्रारूप का पुनर्गठन करना।

प्रारूप, योजनाएं और प्रतिफलों के सम्बंध में सर्व समर्थित योजना प्राप्त करने के लिये सभी निहित स्वार्थों से विचार विमर्ष करना।

विभिन्न आकलनों के निमित्त विशेषज्ञों से विचार विमर्ष करना।

ऐसी योजनाएं बनाना जिनमें कम से कम गड़बड़ी हों।

प्रतिहत अफसरों को सभी प्रकार की क्षतिपूरक सुविधाएं प्रदान करना।

नियमों; कानूनी और संविधानिक व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना।

# सरकारी की सेवायें

## कार्यकारी घंटे

बिना भोजन अवकाश के प्रतिदिन के कार्यकारी घंटों को ६।। या ७ घंटों का विस्तार तक सीमित करना, जिसे परिवहन सुविधाओं और अन्य परिस्थितियों का विचार करके किया जाय।

बिना किसी अपवाद के सभी विभागों में प्रतिदिन के कार्यकल का प्रसार करना और प्रत्येक अनिवार्य रुकने के आधिक्य के लिये समुचित क्षतिपूर्ति करना।

यथा आवश्यक अनिवार्य सेवाओं को शिफ्ट लगाकर चालू रखना, अनिवार्य सेवाओं में भी टुकड़े की ड्यूटी को ऐच्छिक रखना।

द्वितीय शनिवार को और तृतीय या चतुर्थ शनिवार को यदि वह अन्तिम न हो प्रति माह बन्द अवकाश घोषित करना।

चौकीदारों, मंत्रियों, चपरासियों सहित सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये कार्यकारी घंटों की सीमायें निश्चित करना।

# सरकारी की सेवायें

## काम की दशायें

उन्नत क्रिया की सुरक्षा के लिए नवीकृत प्रविधियों को लगाना।

श्रेणी ४ के कर्मचारियों को अनुपात में वृद्धि करना, जिससे हिसाब का अधुनातन लेखा रखा जा सके और श्रेणी ३ को समुचित सहायता उत्पादन वृद्धि के लिए दी जा सके।

सेलेक्शन ग्रेड क्लर्कों को आकर्षक वेतनक्रम देना और उन्हें निरीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगाना।

विभागीय सुपरिंटेन्डेन्टों को अत्यधिक आकर्षक वेतनक्रम प्रदान करना और उसके निरीक्षण क्षेत्र और दायित्व को तीन गुना बढ़ाना और उसी समय उनके कुछ कार्यों को निर्वाचन ग्रेड के क्लर्कों को देना।

जितने सम्भव हों उतने मामलों में प्रतिवेदन की आवधिकता को परिवर्तित करना जिससे अनेक प्राथमिक स्थितियों की पूर्ति ठीक प्रकार से समय के भीतर हो जायें और कार्य इकट्ठा होने की प्रवृत्ति समाप्त हो।

स्थान, फर्नीचर, चालू और पुराने अभिलेखों के रखने की व्यवस्था, चपरासी, दफ्तरी, उपादानों, माल, साहित्य, कोड, पुस्तकें, रद्दी कागज के टोकरे, कागज इत्यादि की समुचित व्यवस्था।

रोशनी, ठंडक, गर्मी सफाई, धुलाई, खिड़की के शीशे की सफाई, कार्यारम्भ से पूर्व फर्नीचर की सफाई इत्यादि की समुचित व्यवस्था।

कर्मचारियों की आवश्यकतानुरूप शौचालय, मूत्रालयों की व्यवस्था।

पीने के पानी की समुचित व्यवस्था।

कार्य करते समय दो बार कार्य पर ही चाय देने की व्यवस्था।

पुरुष और महिलाओं दोनों के लिये कैन्टीन, आराम करने को कामनरूम, खाना खाने को टिफिन रूम और काउन्टर पर रिशेप्शिनिष्ट व्यवस्था।

श्रेणी ४ के लिये बैठने की व्यवस्था करना।

श्रेणी ४ के कर्मचारियों, मालिकों, इत्यादि को बढ़िया गणवेश प्रदान करे (यथाआवश्यक ऊनी भी दिया जाय)।

श्रेणी ४ को सफाई भत्ता भी दिया जाय।

श्रेणी ४ को छाता/बरसाती, संवादवहन का कार्य करने वाले को साइकिल भी दी जाये।

विभागीय चपरासियों और दफ्तरियों को सीधे विभागीय सुपरिंटेन्डेन्टों के निरीक्षण में रखा जाये।

# सरकारों की सेवायें

## भर्ती व पदवृद्धि आदि

किसी भी सरकारी कर्मचारी के तीन वर्ष नौकरी करने के उपरान्त उसे स्वयमेव अर्ध स्थायी मान लेना चाहिये और इसके लिये किसी भी सत्ता के द्वारा घोषणा की जरूरत नहीं होनी चाहिये ।

अन्य सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में अन्य कार्यपदों के लिये अफसरों की अर्जियां प्रेषित की जायें ।

केवल नीचे कार्यपदों के लिए ही नयी भर्ती की जाये और ऐसे पदों के लिये भी जिनमें योग्य अथवा अनुभवी वरिष्ठ अफसर अप्राप्य हैं ।

समान कार्यपदों के लिये सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के लिये समान आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं आदि निर्धारित करना ।

किसी कैडर में कार्य करने वाले १० वर्ष से अधिक सेवा वाले व्यक्तियों को उच्च कैडर में स्वयमेव ही पदवृद्धि देना ।

दायित्वों के कुशल सम्पादन के लिये सभी विभागीय और कोड पुस्तिकाओं और निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और उच्च कैडरों में अधिक दायित्व वाले कार्यों के लिये नियमों का परिज्ञान प्रदान करना ।

योग्यता के कार्यों और कुशलता के लिये अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में प्रेरणा देना ।

आलोच्य पदों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की उपलब्धि पर श्रेणी ४ से श्रेणी ३ के कैडर में अफसरों की पदवृद्धि करना।

जहां अनुभव से नियमों इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव न हो वहां उच्च कैडरों पर पदवृद्धि के लिये विभागीय परीक्षाओं को निर्धारित करना और अनुभवी अफसरों के मुकाबले में ऐसी पदवृद्धियों की संख्या निर्धारित करना।

कैडर में सड़ रहे अफसरों को १० वर्ष की सेवा के उपरान्त विशिष्ट वेतन देना या उन्हें भी विशिष्ट वेतन देना, जिनको विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी पदवृद्धि नहीं दी जा सकी है।

ऐसे कुन्ठित अफसरों को अतिरिक्त चार्ज देना इसके लिये समुचित चार्ज भत्ता भी देना।

श्रेणी ४ में सेलेक्शन ग्रेड की प्रविष्टि करना।

उच्च ग्रेड क्लर्कों के कैंडर में भी कुल निम्न और उच्च विभागीय क्लर्कों की संख्या की २० % अधिक सेलेक्शन ग्रेड कार्यपद बढ़ना।

उच्च पदों के लिये निर्धारित योग्यताओं की प्राप्ति पर तृतीय श्रेणी अफसरों को स्वचालित तत्काल पदवृद्धि देना।

# सरकारी की सेवायें

## अनुशासनिक नियम

सभी केन्द्रीय और राज्यीय कर्मचारियों के लिये वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील नियमों को बनाने का कार्य, जिससे उन्हें सजा मिलने से पहले काफी अवसर अपनी सुरक्षा के लिये मिल सके।

समुचित स्पष्टता से अनुशासनिक अन्वेषणों के लिये पूर्ण प्रक्रय प्रतिपादित करना, जिससे प्रत्येक स्थिति का वर्णन हो।

दोषी कर्मचारियों को कानूनी सहायता देने के लिए प्रबन्ध करना जो कि कानूनी दांव पेंच पुलिस की गवाही, केन्द्रीय जासूस संस्थान इत्यादि में फंसे हों व्यवस्थाओं को स्पष्ट और बन्धनकारी बनाना।

दोषी कर्मचारी अपने बचाव के लिए अपनी पसन्द का सरकारी कर्मचारी रख सकता है किन्तु वह व्यक्ति उस विभाग से सम्बन्धित न हो जिसमें वह काम कर रहा है या कर चुका हो या विभाग का कोई प्रभाव नही होना चाहिए।

उन परिस्थिनियों की परिभाषा करना जब कि सरकारी नौकर निलम्बित किया जा सकता है और निलम्बन की अवधि को न्यूनतम करने के लिये नियम बनाना।

जब तक दोषी कर्मचारी नौकरी से न निकाल दिया जाये या पदमुक्त किया जाये निलम्बन की अवधि को 'कर्तव्य काल' माना जाये।

सेवा से विमुक्त, पदमुक्त या निकाले गये प्रत्येक सरकारी अफसर को सारी सुविधायें जिनमें कानूनी सहायता शामिल है दी जानी चाहिये यदि वह अपनी परिवेदना के निराकरण हेतु न्यायालय की शरण जाता है।

सरकारी नौकरों को चरित्र सम्बन्धी प्रतिमूलक टिप्पणियां देने के लिये परिक्रम बनाना और उन्हें इन प्रतिमूलक टिप्पणियों के उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

कर्मचारी संघों के प्रतिनिधित्व वाली संस्था या निष्पक्ष और स्वतंत्र आयोग की व्यवस्था करना, जिसके सामने यूनियन/संघ सक्रियता के फलस्वरूप उत्पन्न अनुशासनिक विवाद रखे जाने चाहिए।

## सरकारों की सेवायें

### आचरण नियमावली

प्रत्येक सरकारी नौकर के लिये यह अनिवार्य बनाना कि नौकरी में प्रवेश पर वह किसी कर्मचारी यूनियन/परिषद का सदस्य बनें ।

सरकारी आचरण नियमावली में यह व्यवस्था करना कि सरकारी नौकर–सदस्यता–शुल्क, कल्याण फंड, संगठन या सहायता कोष, जिसे यूनियन/परिषद उगाहे, चाहे वह मान्यता प्राप्त हो अथवा नहीं, उसमें योगदान कर सके ।

अपने कर्तव्य काल के अतिरिक्त सरकारी नौकर को अल्पकालिक नौकरी अन्य स्थान पर भी करने की छूट होनी चाहिए, जिससे वह अपनी आय का अनुपूरण कर सके परन्तु उसका सत्ताओं को सूचित करना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि ऐसा कार्य उसके कार्यपद और नैपुण्य को प्रभावित न करे ।

श्रेणी १ के अफसरों को स्थानीय सरकारी राजनीतिक सक्रियता की आज्ञा लेने का अवसर देना चाहिये ।

श्रेणी २ के अफसरों को अधिकतर राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की आशा प्राप्त होना चाहिये परन्तु विवेक की आवश्यकतानुसार ।

श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारियों को यदि वे निर्वाचन में भाग लेना चाहें तो उन्हें नामांकन से पूर्व इस आधार पर अपनी नौकरी से स्तीफा देने की इजाजत देना चाहिए कि यदि वे नहीं चुने गये तो उन्हें पूर्व स्थिति में निर्वाचन फलों की घोषणा से एक सप्ताह में ही पुनर्नियुक्त कर लिया जावेगा और फिर भी वे सभी प्रकार के राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक गति विधियों में भाग लेने के लिये स्वतंत्र रहेंगे ।

सरकारी नौकरों को किसी भी सहकारी नीति या कार्य की आलोचना का अधिकार हो ।

समझौता वार्ता के भंग होने पर (लिखित) प्रतिनिधि परिषद/यूनियन द्वारा हड़ताल की पुकार पर जब कि एक समुचित नोटिस दिया जा चुका हो सरकारी नौकरों को भाग लेने की इजाजत ।

## संसद के कर्तव्य

समाज के जीवन के नियमन के लिए जिसमें श्रमिक भी सम्मिलित है संन्नियम बनाना ।

विधेयक के रूप में व्यवस्था करना जिससे समाज की आवश्यकताओं के लिए कोष उपलब्ध हो और राज्य के सेवाओं के लिए कोष का उपयोग करना ।

निर्वाचकों के सम्मुख सम्बन्धी तत्वों और मामलों को प्रस्तुत करना ।

राष्ट्रीय स्वार्थों के प्रारूप के अंतर्गत लोकहित संस्थानों के लिये सामान्य नीतियां निर्धारित करना और विचारगोष्ठियों (उनके वार्षिक रिपोर्टों और लेखाओं सहित) द्वारा, संसदीय प्रश्नों के उत्तर द्वारा और लोक संस्थानों और अन्य संसदीय कमेटियों द्वारा उनपर नियंत्रण रखना ।

राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करना और सभी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय अनुशासन निश्चित करना ।

## स्थानीय स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के कर्तव्य

रात्रि शरण के लिए भवन व्यवस्था, स्कूलों, अस्पतालों, मातृका गृहों, गृह गिर जाने, सड़क के विस्तार योजनाओं, बाढ़ इत्यादि से प्रभावित व्यक्तियों और छुआछूत की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की व्यवस्था करना।

सड़कों, पुलों, ताजा पीने का पानी, अच्छी नालियों की व्यवस्था, सार्वजनिक संडास और मूत्रालयों, विष्ठा इत्यादि का शुद्धिकरण और अंतिम उपयोग इत्यादि की व्यवस्था करना।

लोक स्वास्थ्य की योजनाओं का प्रचार और पालन जैसे शुचिता, मच्छरों का नियन्त्रण, टीके, अन्य निरोधात्मक औषधियां, मिश्रणविरोधी पग, बाल मृत्यु पर जन्मपूर्व और जन्मोत्तर प्रबन्ध द्वारा नियन्त्रण और सामान्य जन आरोग्य व्यवस्था करना।

सभी पहलुओं में नगर नियोजन करना जैसे मनुष्यों और अन्य वाहकों का जमाव कम करना, साफ हवा की रोक हटाना इत्यादि।

विपणि, परिवहन, गलियों में प्रकाश, अग्निशमन, रोगीवाहन इत्यादि की व्यवस्था करना।

पार्कों, स्टेडियम, खेलकूद के मैदानों और मुर्दा जलाने और गाड़ने की व्यवस्था करना।

रिक्शाचालकों, स्वचालित रिक्शाओं और टैक्सी चालकों, बस यात्रियों के शरण गृहों की व्यवस्था करना, तांगे घोड़ों और अन्य जानवरों के लिये जल व्यवस्था करना।

गन्दी बस्तियों का सुधार, बस्तियां हटाना, गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये मकान की व्यवस्था और उनके बन जाने तक झोपड़ी और झुग्गियों के निवासियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना।

प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को अर्धदिवसीय भोजन, सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवा और निरोधात्मक औषधि व्यवस्था करना।

श्रमिकों पर गृह, पानी इत्यादि के लिये ५० %की कर मुक्ति करना।

शारीरिक अपंगों के लिये छोटे कारखाने स्थापित करना, श्रम कल्याण पगों के लिए छोटे संस्थानों को आर्थिक सहायता देना।

असंगठित श्रमिकों के लिये श्रम कानूनों का पालन और आवश्यक व्यवसायों में अनुज्ञापत्रों को प्रदान करना।

निवास स्थान से कार्य स्थान तक श्रमिकों की सस्ती और कुशल परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यूनियनों से सहयोग करना और सभी श्रमिकों के लिये समुचित कैन्टीनों और कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करना, उन श्रमिकों के लिए जो फैक्टरियों, दूकानों, सड़कों और घर बाहर और रात्रि ड्यूटी में कार्य करते हैं।

## प्रेस कांउसिल के कर्तव्य

प्रेस की स्थापित स्वतंत्रता की रक्षा करना।

प्रेस की प्रकृति को उच्चतम व्यवसायिक एवं व्यापारिक मानदण्डों के अनुरूप स्थायी रखना।

लोकहित और महत्व की सूचनाओं को रोकने वाली घटनाओं पर पूर्ण दृष्टि रखना।

प्रेस के आचरण या प्रेस के प्रति व्यक्तियों अथवा संगठनों के आचरणों की शिकायतों पर विचार करना।

प्रेस में उन घटनाओं पर रिपोर्ट देना जो अत्यधिक केन्द्रीकरण अथवा एकाधिकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

प्रेस को प्रोत्साहित करना जिससे वह सार्वजनिक जनता को श्रम और उद्योग सम्बन्धी चालू समस्याओं के प्रति शिक्षित करने का प्रयास वस्तुगत और निष्पक्ष समाचार प्रदर्शन द्वारा कर सकें और समाचार को सूचना प्रधान रखना न कि घटना प्रधान।

समुचित मौकों पर सरकार, संयुक्त राष्ट्रीय प्रत्यंगों और विदेश के प्रेस संगठनों में प्रतिनिधित्व करना।

अपने निर्णय और प्राविधिक रिपोर्टें जिनमें उनके कार्य का उल्लेख हो प्रकाशित करना और प्रेस की घटनाओं और उनको प्रभावित करने वाले तत्वों को समय-समय पर पुनर्आकलन करना।

## एक विश्वविद्यालय के कर्तव्य

(औद्योगिक जीवन के सन्दर्भ में)

पुस्तकों, पत्रिकाओं, मासिक एवं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आन्दोलन को अनुवृत्त करने वाले साहित्य का एक अधुनातन पुस्तकालय रखना।

औद्योगिक समस्याओं में एक सोद्देश्य और आवश्यकता प्रधान शोध करना जैसे, हड़तालें और तालाबन्दी, अनुपस्थिति, कार्य-प्रोत्साहक, गट-कार्य, प्रेरक योजनायें, नेतृत्व (संगठनात्मक और औद्योगिक), भृत्ति व्यवहार, अनुशासन, औद्योगिक सम्बन्धों में राज्य का स्थान, उत्पादकता सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति एवं तत्व, भावी प्राविधिक कौशल एवं सेवायोजन स्थिति का भविष्यावलोकन, सन्दर्भ कानून का विकास, कार्यकारी परिस्थितियां और सुरक्षा, श्रम गुणधर्मिता और भर्ती, पदवृद्धि और प्रशिक्षण की रीतियां इत्यादि और संस्थात्मक सविधानों और व्यवहारों की जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सार्थकता का परीक्षण करना।

सांख्यिकीय अनुसन्धानों में सहायता करना जैसे-पूंजी उत्पादन अनुपात, शोध (आबलिक) विकास अनुपात, और समाजशास्त्रीय अनुसंधान जैसे-परिवार-जीवन-सर्वेक्षण, सम्वादवहन प्रारूपों इत्यादि जिससे इस संबन्ध में प्रकाश पुन्जी योजनाओं और नीतियों का विकास हो।

उद्योग और ट्रेडयूनियनों के बीच एक सतत विचार विमर्ष कायम रखना जिससे औद्योगिक जीवन की चालू और दीर्घकालीन शैक्षणिक आवश्यकताओं को ज्ञात किया जा सके और उद्योग और श्रम को सूचना, ज्ञान और शोध के अधुनातन उपलब्धियों से सूचित रखना।

## औद्योगिक काउंसिल

(औद्योगिक परिवार)

औद्योगिक सम्बन्ध के सभी पक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने को एक औद्योगिक परिवार के रूप में पुनर्गठित कर लें।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय और राज्यीय स्तरों पर श्रमिकों व्यवस्थापकों और प्राविधिक कैडरों और पूंजीपतियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से युक्त प्रत्येक बड़े और छोटे उद्योग में अथवा उनके व्यवसायिक समूह के लिये एक औद्योगिक काउंसिल बनाई जावे।

संसद अथवा राज्य विधायिकाओं की स्वीकृति पर ऐसे औद्योगिक काउंसिलें अपने उद्योगों की सामान्य नीतियों को निर्धारित करने की उच्चतम सत्ता होगी जिनमें वे नीतियाँ भी शामिल हैं जो श्रम शक्ति के कार्य विभाजन, व्यवस्थापकों और प्राविधिक कैडरों और पूंजी के निवेश से सम्बन्धित हैं।

सारी श्रमशक्ति, व्यवस्थापक और प्राविधिक कुशलता और पूंजी जो उद्याग में है वह राष्ट्रीय या राज्यीय औद्योगिक काउसिलों के द्वारा कार्य में लगाये जाने के लिये उपलब्ध रहेंगी और वे ही कुछ निर्णयों का प्रतिपादन एवं पालन कर सकेंगी जैसे–उत्पादन ओर सेवायोजन लक्ष्य प्राविधिकी का स्तर, भृत्ति नीति, आयात और निर्यात का भार इत्यादि।

प्रत्येक औद्योगिक काउंसिल उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगी जो उसे राष्ट्र के द्वारा प्रदत्त हैं और अन्य उद्योगों की समान काउंसिलों से वह उनकी क्रियाओं का समन्वय करेगी और ऐसा करने में वह 'उद्योगों के ब्यूरो' द्वारा स्थापित अनुशासन का पालन करेगी। इस निमित्त वह समय-समय पर अपने संविधान का पुनर्आकलन और संशोधन करेगी और फर्मों, इकाइयों, समूहों, व्यक्तियों इत्यादि के आन्तरिक सम्बन्धों का पुनर्प्रतिपादन करेगी, जोकि उद्योग के अंतर्गत कार्य करते हों।

श्रमिकों, प्राविधिक कौशल, पूंजी, उपभोक्ताओं, शोध और विकास आवश्यकताओं, योजना वरीयताओं और राज्य द्वारा प्राप्य राशियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त वे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आय वितरण की एक योजना पर चलेंगे।

इस प्रकार से निर्मित औद्योगिक काउंसिलों पर यह भार होगा कि वे यह सुरक्षा प्रदान करें कि कोई भी श्रमिक, यंत्रीकरण, अभिनवीकरण, आधुनिकीकरण अथवा स्वचालितीकरण के फलस्वरूप पदमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसको सेवा की संततता की बिना हानि के कोई अन्य वैकल्पिक नौकरी उसी उद्योग में, या अन्य किसी दूसरे संस्थान में नहीं दे दी जाती।

प्रत्येक औद्योगिक काउसिल प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के सदस्यों का पूर्ण ध्यान रखेगी और प्राकृतिक दिशा में उसके पूर्ण विकास को प्रोत्साहित करेगी और उसे कभी भी नौकरी के बाहर, दुःख में या आधारभूत जीवन आवश्यकताओं के अभाव में नहीं रहने देगी। उद्योग पर प्रतिदिन के जीवन निर्वाह के लिये निर्भर सभी व्यक्तियों को एक विशाल औद्योगिक परिवार का सदस्य माना जायेगा और उस परिवार का सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण सभी श्रमिक को उसके बच्चे, बूढ़े, पीड़ित, विधवा, शारीरिक या मानसिक अपंग इत्यादि के रूप में मिलेगा जोकि औद्योगिक परिवार के प्राकृतिक सदस्य हैं।

औद्योगिक परिवार का यह कर्तव्य होगा कि उद्योग में वह सदस्य श्रमिकों के बालकों को भी खपत करले जब तक कि वे स्वयं ही किसी भिन्न जीवन का चुनाव न करलें।

इस अनुशासन पर कार्य करने वाला औद्योगिक परिवार इस प्रकार अपने प्रत्यंग सभी मानव बन्धुओं को एक भौतिक शरण प्रदान करेगा और उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रयत्नों और जीवन को पूर्ण बनाने के कार्यों के लिये समुचित अवसर प्रदान करेगा।

## सामाजिक कार्यकर्ताओं का अनुशासन

मानसिक और शारीरिक रोगियों और अपंग व्यक्तियों के प्रति सद्‌भावना; धैर्य, प्रौढ़ता, वस्तुपरकता के प्रति निष्ठा।

समाज कार्य के किसी स्कूल में निम्न विषयों पर विशिष्ट शिक्षण–समाज कार्य के दर्शन एवं इतिहास, भारतीय समाजिक समस्यायें, सामाजिक कानून, औषधि सम्बन्धी सूचना, जनकल्याण एवं सामुदायिक कल्याण सेवायें, आधारभूत समाज कार्य सम्बन्धी प्राविधि, जैसे–घटना अध्ययन, समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक अनुसंधान, मानव व्यवहार का गति विज्ञान, किशोर एवं बाल मनोपचार जिसमें निम्न-लिखित सम्मिलित हैं— मनोव्याधिकी, अपराध मनोविज्ञान, मनस्ताप और मनोविकृति का उपचार, विभिन्न व्यवहारिक समस्यायें और मानसिक विकृति की व्यवस्था, मनोपचारिक औषधि, बीमारी के सामाजिक और भावनात्मक तत्व, विचार एवं पुनर्वासन, मनोपचारिक स्थितियों में घटना अध्ययन, बाल निर्देशन प्राविधि, विभिन्न परिस्थितियों में मनोपचारिक समाज सेवा का गठन एव प्रशासन।

मानसिक रोगों के निरोध, विकास एवं उपचार में शोध।

सामाजिक एवं निरोधात्मक औषधि और औषधिक समाज कार्य में विशेष प्रशिक्षण। समाज कार्य और औषधि में संवाद वहन प्रवाहिकाएं स्थापित करने के निमित्त उन्हें समाज कार्य की भारतीय कान्फ्रेंस, समाज कार्य स्कूलों के पूर्व छात्र परिषद या भारतीय औषधि परिषद अथवा अस्पतालों, दवाखानों, स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि में कार्य द्वारा, लोक स्वास्थ्य की परिस्थितियों में औषधिक समाज कार्य के प्रसार

द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य योजनाओं और लोक कल्याण एजेन्सियों द्वारा व्यवसायिक समूहों में संगठित करना। अस्पताल, रोगी और उसके परिवार के प्रति एक ओर और डाक्टरों, मनोपचारकों, नर्सों, व्यवसायिक वैद्यों, शारीरिक वैद्यों इत्यादि के प्रति दूसरी ओर मध्यस्थ का कार्य करना।

शारीरिक और मानसिक व्यथा से पीड़ित व्यक्तियों का एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण।

सरकारी सहायता से उत्तम मानसिक अस्पतालों का संगठन (जिसमें १८,००,००० शय्याएं और ५००० मनोपचारक हों), मनोपचारी वाहरी–विभाग और मानसिक आरोग्य क्लीनिक दिवस अस्पताल 'विशिष्ट परिचर्या की आवश्यकता के बाल स्कूल, बम्बई जैसी संस्थाएं; दिवस परिचर्या केन्द्रों, प्रशिक्षित व्यक्तियों को गांवों में ले जाने वाले वाहन दल; इंगलैण्ड के जैसे व्यवसायिक केन्द्र और निवेश व्यवस्था; बाल निर्देशन केन्द्र, वैज्ञानिक परिवार कल्याण सेवा, संस्थाएं, गृह, कारखानें; अंधों, बहरों, अपंग, गूंगों, वृद्ध, अशक्त, व्यथित, शरीर व्याधि से अपंग, कोढ़ी, संवेदनशील, हृद रोग से पीड़ित, पैराप्लेजिक पीड़ित, मिर्गी के रोगी, बाल अपराधी, पागल, अपराधी भिखमंगे इत्यादि के लिये प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल।

विधायकों पर शारीरिक एवं मानसिक व्यथा से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिये एक अलग कानून बनाने पर बल देना जिसमें उन्हें प्रशिक्षण, नौकरी, औषधिक सहायता, नौकरी के अवसरों में कोटा और वरीयता व भृत्ति के सरकारी अनुपूरण को व्यवस्था हो।

भिखारियों का एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण, उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास, सभी भिखारियों का वर्गीकरण, राष्ट्रीय सहायता

और पेन्शन योजना, व्यथित व्यक्तियों का पंजीकरण, अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिये एजेन्सियाँ, उद्योगों से कुछ संख्या में अपंग व्यक्तियों को नौकरी देने की मांग, प्रत्येक प्रशासकीय विभाग में कम से कम एक शरण–कारखाने का निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कूल, प्रशिक्षित अपंगों को कच्चे माल और उपादानों के रूप में सहायता, दुरूहता रहित उपादानों की स्थापना, बनावटी शरीर प्रत्यंगों की व्यवस्था, अपंग व्यक्तियों के लिये एक संस्थान की स्थापना, निरोधात्मक कारखानों का प्रारम्भ, अपंगों और रोगियों के सहायतार्थ आर्थिक सहायता योजनायें।

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आदर्श विधेयक पास करवाना जो मान-दण्ड का कार्य करे और जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं हों :—

(१) वर्गीकरण केन्द्र (२) निरीक्षण द्वारा सुधार (३) अलग न्यायालय (४) विशिष्ट पुलिस इकाइयाँ (५) प्रशिक्षण एवं उपचार गृह (६) अनुज्ञा एवं निरीक्षण (७) अनिश्चित अवरोधन (८) स्वभाव से अपराधी भिखारियों और शोषकों के लिये अलग–अलग पग। (९) गृहों में नहीं वरन शरणालयों में ऐच्छिक अवरोधन की व्यवस्था।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित ट्राइब्ज, सीमांकित ट्राइब्ज और अन्य पिछड़े वर्गों के न्यायादर्श आधारित अर्थ-सामाजिक सर्वेक्षण करना और उनकी विपत्ति में सुधार के लिये पग और साधन सुझाना और उनके बीच में इसी उद्देश्य से कार्य करना।

## सामाजिक–सांस्कृतिक नेताओं के कर्तव्य

### समाजकार्य के प्रति

देश में उत्तम प्रकार से प्रशिक्षित और योग्य समाजिक कार्यकर्ताओं को बनाना, प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना और निर्देश करना।

विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय और राष्ट्रीय ऐच्छिक संस्थाओं और योजनाओं द्वारा किये जाने वाले समाज कार्य को पुनर्आ-कलित, सन्तुलित एवं समन्वित करना।

### उपभोक्ताओं के प्रति

इस तथ्य को स्वीकार करना कि राष्ट्रीय हित का निकट आर्थिक पर्याय उपभोक्ताओं का हित है।

समाज में उपभोक्ता–हित चेतना जाग्रत करना।

उपभोक्ताओं के मंच स्थापित करना जो उनके हितों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में लगातार स्थिरता पूर्वक उन्हें शिक्षित करें जिसमें देश के औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति भी शामिल हो।

जब भी उपभोक्ता हितों के विकास और संरक्षण करने की आवश्य-कता हो तो जल्दी जल्दी होने वाली उपभोक्ता कान्फ्रेंसों के माध्यम से जनमत को आन्दोलित करें, जिससे सरकारों, व्यवसायियों या औद्योगिक सम्बंधों के विभिन्न पक्षों पर समुचित दबाव डाला जा सके।

उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिकार और हड़तालों का आयोजन करें, जिसके

द्वारा वे ऐसी निर्माणी के बनाये गये सामान को खरीदने से इन्कार कर दें जो उपभोक्ता-विरोधी नीतियों का पालन करती हों।

स्वदेशी और बलदायक व्यक्तिगत स्वभाव को प्रेरित करने के लिये वे उपभोग का प्रारूप बनावें और प्रचारित करें।

प्रमुख उद्योगों में इंग्लैण्ड के 'कोयला उपभोक्ता काउंसिलों' के आदर्श पर उपभोक्ता सलाहकार या परामर्शदात्री काउंसिलें बनावें जो मंत्री महोदय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और जिन्हें मंत्री महोदय राष्ट्रीय कोयला बोर्ड की रिपोर्ट के साथ ही संसद में पेश करते हैं।

**भारतीय संस्कृति के प्रति**

भृत्ति-विभेदों और स्थिति-विभेदों की एक समन्वयकारी व्यवस्था का विकास करना जो समानता और प्रेरणा की संधि की सुरक्षा करे क्योंकि यदि जीवन के मूल्य शुद्ध आर्थिक या भौतिक होंगे तो धन का न्यायपूर्ण वितरण उच्चतम वैयक्तिक विकास की प्रेरणा से असंगत रहेगा।

इसलिये ऐसा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न करें जिसमें अविचलित रूप से सामाजिक स्थिति और वैयक्तिक धन के बीच एक उल्टा अनुपात पाया जाये। और,

देश में न्यूनतम और अधिकतम आय राशियों के बीच १ और १० का अनुपात (१:१०) प्राप्त करें।

**राष्ट्र के प्रति**

औद्योगिक सम्बन्धों के सभी पक्षों को इसके लिए सहमत करना कि वे राष्ट्र–रूपी जीवधारी के अंग प्रत्यंग हैं और उनके वर्गीय हित तत्वतः राष्ट्र के हितों में ही सन्निहित हैं।

इसलिये औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी नागरिकों को क्षेत्रीयता, भाषा, जातिवादिता और साम्प्रदायिकता की विनाशक प्रवृत्तियों से मुक्त रखें तथा उन्हें यह शिक्षा भी दें कि वे न केवल सभी पंथों को बल्कि मार्क्सवाद को भी न छोड़ते हुए किस प्रकार से उन्हें न केवल सहन ही वरन् उनका सम्मान भी करें ।

राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें ।

**मानवता के प्रति**

विश्व संस्कृति को उदाहरण और सम्प्रेषण द्वारा अपने विशिष्ट लक्षणों से युक्त सनातन जीवन मूल्यों का योगदान देना, जिससे विश्व समाज को शान्ति, प्रचुरता, स्वतन्त्रता, एकता और परमानन्द की उच्चतम मानव आकांक्षा की सम्प्राप्ति हो सके ।

## समाज का अनुशासन

प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व, प्रकृति एवं अभिरुचियों के अनुसार उसके पूर्णतम विकास के लिए पूर्णतम क्षेत्र प्रदान करना, जिससे सभी व्यक्तियों की सभी क्षमताओं का राष्ट्रीय समृद्धि हेतु पूर्णरूपेण उपयोग किया जा सके ।

विभिन्न व्यक्तियों के अगणित विभिन्न दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं, स्थितियों, विचार के दृष्टिकोणों और अंशों, भावनाओं, अभिरुचियों, पसंदगी-क्रमों, स्वभावों, इच्छाओं, क्रोध और व्यक्तियों को ठीक प्रकार से समझना और उनका सम्मान करना । और फिर भी उनके माध्यम से एकता का व्यवस्थाक्रम खोजना, जो अपने आपका अंग विस्तार विभिन्न वर्गों को अनुशासन का एक सम भाव प्रदान करके-करता है जैसे—कुटुम्ब, समुदाय क्षेत्र, व्यवसाय, उद्योग इत्यादि का अनुशासनिक समभाव ।

सामाजिक जीवन के इस ताने—बाने को बुनना और इसके लिये लघुतम से विशालतम और अधिक समरूपी से अधिक जटिल और पूर्ण वर्ग तक वैयक्तिक प्रयत्नों को आपस में मिलाना और उसके लिये प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था और व्यक्तियों और संस्थाओं के समूहों के विशिष्ट और समान कार्य क्षेत्रों को जोड़ना तथा परिभाषित करना ।

एक ढीले, विशाल और मंथर गति वाले परन्तु जीवन्तु सामाजिक व्यवस्थाक्रम की सक्रियता की आवश्यकता और विवेकपूर्णता को समझना, जो प्रत्येक विभाजित और विभिन्न रूपों में प्रतिपादित ज्ञान, प्रयत्न और प्रवृत्ति के पन्थ को स्वतन्त्र एवं पूर्ण विकास के योग्य वातावरण प्रदान करता है और फिर भी राष्ट्रीय शरीर के इन अलग अलग जीवाणुओं को संगतिपूर्वक जोड़ता है—प्रथम एक कच्चे प्रकार के आदान प्रदान विनिमय के रूप में और पारस्परिक सहायता और सुविधाओं, पारस्परिक समर्थन और तृप्ति, भावनात्मक उत्साह, सम्वेदना और बंधु-

भाव के अनुशासन के बीच से भ्रमण करता हुआ एक ही मां के उदर से उत्पन्न पुत्रों और पुत्रियों के बीच पाई जाने वाली यथार्थ एकता के रूप के अंतिम सम्मिश्रण तक पहुंचता है। सामाजिक व्यवस्थाक्रम की अपने विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा काल की एक अवधि में सर्व–पूर्णता स्थापित करने की प्राविधिकता को समझना।

वर्तमान काल की आवश्यकता को स्वीकार करना, जो कि जनता के पिछड़े और दलित वर्गों की शीघ्र उन्नति और विकास करना है, जिससे वे अपनी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की पूर्ण-न्यायिक आकांक्षा पूर्ण कर सकें और उनका बन्धुत्व की भावना से उत्थान करना, जिससे वे अन्यों के समान श्रेणी में रह सकें और इस अकेले मार्ग से ही स्वतन्त्रता को उसका सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो। आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त उपयोगितायें और अवसर, उसकी विशाल काया-उत्पादन-प्रविधियां, श्रम संरक्षण के यंत्रों, सामूहिक सम्प्रेक्षण सभी को इस अकेले उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त सेवा में लगाया जाना चाहिये, जिससे जनता का उत्थान हो, जन-शिक्षा का प्रसार हो, बौद्धिक उपादान का औसत स्तर उन्नत हो, और जनता की क्षमता और कल्याण की वृद्धि आधुनिक सभ्यता के पुरस्कारों से हो।

आधुनिक काल के इस विशाल और बहुसंख्यक प्रयत्न का निर्देशन उसे सामाजिक अनुशासन के समरूपी प्रारूप में अधिष्ठित करके करें, जिसे 'कालजयी व्यवस्था' ने हमें अपने सर्वाधिक मूल्यवान पुरस्कार के रूप में प्रदान किया है और जिसके केवल कुछ भाग को ही कर्तव्य और आच–रणों के इस व्यवस्थाक्रम में अनावृत किया गया है।

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन के सही स्थान और कार्य पर प्रतिष्ठित करना, उसे उसके विकास की सच्ची प्रकृतिमूलक दिशा का ज्ञान कराना और उसे अपने आत्म-अनुशासन, आत्म व्यवस्था और आत्म तुष्टि के अनुकरण के लिये पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षित छोड़ देना।

## आत्म–अनुशासन

जीवन एवं समाज में अपने व्यक्तित्व एवं स्थिति के अनुसार समुचित कर्तव्यों का पूर्णता से पालन करना।

सभी झगड़ों की वास्तविक प्रकृति को समझना जोकि प्रेरणाओं में संगति सम्बन्धी अनेक समस्याओं का प्रतिफल है और सदैव एक उत्तम प्रकाश को ढूढ़ना चाहिए जो कि प्रत्येक विवाद को सुलझाने के लिये एक अधिकारपूर्ण संश्लेषण प्रदान कर सकता है।

व्यक्ति के चारों ओर के जीवन और समाज के प्रति एक उत्तम और अतिउत्तम सेवा का संतत योगदान करना, जिससे प्रथ्वी को मानव के आवास के लिये उपयुक्त स्थान बनाया जा सके।

अज्ञान से ज्ञान की ओर और ज्ञान से उच्च ज्ञान की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, विवादों से सौहार्द्र की ओर, घ्रणा से प्रेम की ओर, वस्तुओं के प्रति संकुचित से वृहद दृष्टिकोण की ओर, विभाजन से एकता की ओर, परतन्त्रता से स्वतन्त्रता की ओर, म्रियमाण से जीवन के अनन्त जीवन मूल्यों की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर सदैव उन्नति करते जाना।

अन्ततः अभाव और भय से मुक्त होकर आत्म–ज्ञान के लक्ष्य की ओर किसी भी आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से आगे बढ़ना।

———